# वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
# Annual Administrative Report
# 2017

## राज्य विधि विज्ञान निदेशालय
गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

माननीय गृहमंत्री श्री गुलाब चन्द कटारिया फोरेंसिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान व पॉलीग्राफ सेन्टर के शुभारम्भ के अवसर पर 'फोरेंसिक मार्गदर्शिका' का विमोचन करते हुए

माननीय गृहमंत्री श्री गुलाब चन्द कटारिया को एफ.एस.एल. निदेशक डॉ0 बी0बी0 अरोरा पॉलीग्राफ सेन्टर में आयातित कम्प्यूटराईज्ड पॉलीग्राफ उपकरण की कार्यप्रणाली का अवलोकन कराते हुए

माननीय गृहमंत्री श्री गुलाब चन्द कटारिया, एफ.एस.एल. जयपुर में नवनिर्मित फोरेंसिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण करते हुए

नवनिर्मित फोरेंसिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में माननीय गृह मंत्री श्री गुलाब चन्द कटारिया वैज्ञानिक विधि से अपराध अन्वेषण की कौशल विकास की प्रशिक्षण से सम्बन्धित सुविधाओं का निरीक्षण करते हुये।

# राज्य विधि विज्ञान निदेशालय : अवस्थिति

- राज्य विधि विज्ञान मुख्यालय
- क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला
- जिला मोबाइल फोरेंसिक यूनिट

N
(Not to scale)


## राज्य विधि विज्ञान निदेशालय

नेहरू नगर, जयपुर–302016

Website : www.home.rajasthan.gov.in

# लक्ष्य

अत्याधुनिक तीव्रतर वैज्ञानिक तकनीकों से अपराध के अकाट्य साक्ष्य उपलब्ध करवाकर आपराधिक न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना।

# भावी दृष्टि

अपराधी के तेजी से बढ़ते हुए संसाधन, कौशल, चातुर्य एवं निपुणता को दृष्टिगत रखते हुए अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों से विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निरन्तर तकनीकी सुदृढ़ीकरण किया जाना, जिससे अपराधी की शीघ्रातिशीघ्र पहचान सुनिश्चित की जा सके। भौतिक साक्ष्य के फोरेंसिक महत्त्व से पुलिस, अभियोजन व न्यायपालिका को अभिज्ञानित कराना ताकि अपराध उन्मूलन में प्रभावी योगदान देते हुए अपराध सिद्धि की दर में वृद्धि हो सके।

# अनुक्रमणिका


| क्र.सं. | विषय वस्तु | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1 | प्राक्कथन | 2 |
| 2 | वैधानिक स्थिति, कार्य प्रणाली एवं प्रशासनिक परिदृश्य | 3–4 |
| 3 | प्रकरणों का निष्पादन | 4 |
| 4 | तकनीकी सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास | 4–10 |
| 5 | राज्य विधि विज्ञान निदेशालय: अपराध अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका | 10 |
| 6 | संगठनात्मक चार्ट | 11 |
| 7 | संगठनात्मक स्वरूप | 12 |
| 8 | नियमित बजट एवं आधुनिकीकरण योजना अन्तर्गत राशि | 13 |
| 9 | ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: चरणबद्ध विकास | 14 |
| 10 | प्रकरण सांख्यिकी | 15–16 |
| 11 | महत्त्वपूर्ण प्रकरण | 17–21 |
| 12 | घटना स्थल निरीक्षण : कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकरण | 21–24 |
| 13 | राज्य विधि विज्ञान निदेशालय की विभिन्न प्रयोगशालाओं एवं जिला मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स का पता व दूरभाष | 25–28 |
| 14 | वर्ष 2017 में क्रय, रिपेयर/अपग्रेडेशन व ए.एम.सी. उपकरणों की सूची | 28–29 |
| 15 | वर्ष 2017 की उपलब्धियाँ | 30 |
| 16 | भविष्य की योजनाऐं | 30 |
| 17 | राज्य में फोरेंसिक सुविधाओं की अवस्थिति | अन्तिम पृष्ठ |

# प्राक्कथन

वर्ष 2017, राजस्थान विधि विज्ञान निदेशालय के लिये विशेष उपलब्धिकारक रहा है। नवीन तकनीकी क्षेत्रों में माननीय गृहमंत्री महोदय द्वारा दो संस्थानो - एक राजस्थान पॉलीग्राफ सेंटर एवं दूसरा फोरेंसिक ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट का विधिवत शुभारम्भ कर निदेशालय का तकनीकी विस्तार किया गया। इसके अतिरिक्त हाई-टेक अपराधों से निपटने के लिये साईबर फोरेंसिक का विशेष अनुभाग कार्यशील किया गया है। घटनास्थलों के फील्डवर्क के लिये मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स की सक्रियता बढाई गयी है। फलस्वरूप वर्ष 2017 में घटनास्थल निरीक्षण में 30 प्रतिशत वृद्धि के साथ नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है।

वर्ष 2017 में 37,347 आपराधिक प्रकरणों की फोरेंसिक रिपोर्ट पुलिस व न्यायालयों को उपलब्ध कराई गई। एफ.एस.एल. में वर्षो केस लम्बित रहते थे व फोरेंसिक रिपोर्ट के अभाव में न्यायालयों में निर्णय सुनाने में विलम्ब हो जाता था। इसकी गम्भीरता को ध्यान में रखते हुये एफ.एस.एल. में वर्षो से लम्बित समस्त प्रकरण निस्तारित कर दिये गये हैं और अब वर्तमान केसेज का निस्तारण प्रारम्भ कर दिया गया है।

सेवानिवृत्ति के कारण अनुभवी वैज्ञानिकों की संख्या में कमी आयी है। इस कमी से जूझते हुये बहुत से वैज्ञानिकों ने स्वेच्छा से अतिरिक्त समय में कार्य निष्पादन कर विशेष योगदान दिया जिससे विधि विज्ञान निदेशालय के इतिहास में प्रथम बार वर्षो से लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कर वर्तमान प्रकरणों की रिपोर्ट प्रेषित की जाने की उपलब्धि प्राप्त कर ली गयी है।

घटना स्थलों पर आधुनिक वैज्ञानिक सेवायें प्रदान करने हेतु जिला मुख्यालयों पर मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स को सक्रिय व सुदृढ़ किया जा रहा है। पुराने हो चुके अप्रचलित उपकरणों को नवीन तकनीक से बदलने का कार्य प्रगति पर है।

इस वर्ष अधिकारियों द्वारा विगत वर्षो में जटिल एवं संगीन अपराध प्रकरणों जैसे जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट एवं अन्य आतंकी अपराध, अबोध बालक-बालिकाओं व महिलाओं से हिंसक अपराध आदि से सम्बन्धित परीक्षण शुदा प्रकरणों में न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने में योगदान देने के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया।

गवाहों के पक्षद्रोही होने व विश्वसनीय साक्ष्य प्राप्त करने की बढ़ती कठिनाई से निपटने के लिये अपराध की अकाट्य फोरेंसिक साक्ष्य जुटाने हेतु नई तकनीकें विकसित की गई है - डी.एन.ए. एवं साईबर फोरेंसिक क्षेत्र में प्रगति विशेषकर उल्लेखनीय रही हैं।

नवस्थापित फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टिट्यूट में पुलिस अधिकारियों को व्यवहारिक अभ्यासों के माध्यम से आधुनिक फोरेंसिक तकनीक से अपराध सुलझाने में प्रशिक्षण दिया गया है एवं एफ.एस.एल. के वैज्ञानिकों का नवीन तकनीकों में कौशल विकास किया गया है।

जयपुर स्थित मुख्य प्रयोगशाला में 'पॉलीग्राफ सेंटर' की स्थापना के साथ ही सभ्य विधियों से निर्दोष संदिग्धों को राहत देने, चतुर अपराधियों से सच उगलवाने व झूठे मुकदमें दर्ज कराने वालों का पर्दाफाश करने में राजस्थान पुलिस को सहायता प्रदान की जाने लगी है।

तकनीकी अभिसरण (technology convergence) के फलस्वरूप कम्प्यूटर, सूचना संचार, सोशल मीडिया व इंटरनेट-आफ-थिंग्स आधारित नित्य नये आपराधिक कृत्य उभर रहे है। इस चुनौती से निपटने के लिये साईबर खण्ड को सुदृढ़ किया गया है व इसे हाई-टेक 'ऐडवांस्ड सेंटर फॉर साइबर फोरेंसिक्स' में विकसित किया जा रहा है।

बच्चों व महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों की तीव्रतर साक्ष्य के लिये 'निर्भया साइबर मोबाइल यूनिट' सहित राज्य, क्षेत्रीय व जिला स्तर पर फोरेंसिक विकास कार्य प्रगति पर है और प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित कर दिये गये है।

बीकानेर एवं अजमेर क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के नये विशिष्ट डिजाइन के भवनों का निर्माण प्रगति पर है। भरतपुर में भी क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिये भवन के निर्माण के लिये राज्य सरकार से नि:शुल्क भूमि प्राप्त करने में प्रगति हुई है। इन स्थानों पर प्रयोगशालायें किराये अथवा राजकीय आवासीय भवनों में कार्यरत हैं, किन्तु यह भवन न तो आधुनिक उपकरणों की स्थापना के लिये पर्याप्त है और न ही कार्य विस्तार के लिये उपयुक्त है।

एफ.एस.एल. में रिक्त पदों को भरने के लिये प्रयासों में तेजी लाई गई है। हाल ही में राजस्थान अधीनस्थ सेवा भर्ती बोर्ड से 34 अधीनस्थ सेवा कर्मचारियों की एक चयन सूची प्राप्त हो चुकी है। राजपत्रित पदों को भरने के लिये राज्य सरकार व राजस्थान लोक सेवा आयोग स्तर पर कार्य प्रक्रियाधीन हैं।

एफ.एस.एल. में प्राप्त होने वाले प्रकरणों में गत वर्ष की तुलना में 2817 प्रकरणों की वृद्धि हुई है जो अपराध अनुसंधान व अभियोजन में वैज्ञानिक साक्ष्य की बढ़ती उपयोगिता का शुभ संकेत है।

फोरेंसिक डी.एन.ए., साईबर फोरेंसिक्स तथा पॉलीग्राफ खण्डों के सेवा नियमों के प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन हैं। इन प्रस्तावों के राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन पश्चात् इन अतिविशिष्ट क्षेत्रों में उपयुक्त वैज्ञानिकों की भर्ती की जा सकेगी जिससे 'हाई-टेक स्पेशलाइज्ड क्राईम' की तीव्रतर फोरेंसिक सेवाये प्रदान कर दोषियों की सजा दर (conviction rate) बढ़ाये जाने में वृद्धि लाये जाने का लक्ष्य है।

(डॉ. बी. बी. अरोरा)
एम.एससी., पीएच.डी., एसोशिएट एस.आई.एन.पी., एफ.ए.एफ.एससी.
निदेशक

# वैधानिक स्थिति, कार्यप्रणाली एवं प्रशासनिक परिदृश्य

## वैधानिक स्थिति

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45 : न्यायालय को तकनीकी प्रश्नों पर तथ्यात्मक निष्कर्ष एवं विवरण प्रस्तुत करने हेतु विशेषज्ञ राय विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है।

राजकीय फोरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्ट दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 293 के अन्तर्गत बिना व्यक्तिगत उपस्थिति के न्यायालय की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में मान्य है। धारा 293 (4) में किसी केन्द्रीय अथवा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक, उपनिदेशक एवं सहायक निदेशक को राजकीय वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में परिभाषित किया गया है।

फोरेंसिक विशेषज्ञ : एफ.एस.एल. में विज्ञान की विभिन्न विधाओं में विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव धारित व्यक्ति ही विशेषज्ञ हैं। विशिष्ट योग्यताधारित अपराध की विशेषज्ञ भौतिक साक्ष्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर फोरेंसिक रिपोर्ट देते हैं जो सम्बन्धित जाँच एजेन्सी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है।

## कार्यप्रणाली

पारदर्शिता व गुणवत्ता बनाये रखने के लिये घटनास्थल व प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा एक 'टीम वर्क' के रूप में निम्न कार्य सम्पादित किये जाते हैं:-

1. अपराध की वैज्ञानिक साक्ष्यों की पहचान हेतु घटनास्थल का निरीक्षण।
2. जाँच अधिकारी को भौतिक साक्ष्य के वैज्ञानिक महत्व व इससे प्राप्त होने वाली साक्ष्य बाबत् जागरूक करना।
3. घटनास्थल, संदिग्ध/आरोपी एवं पीड़ित से प्राप्त अपराध प्रादर्शों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर परीक्षण रिपोर्ट प्रदान करना।
4. वैज्ञानिक साक्ष्यों को श्रृंखलाबद्ध कर अपराध कारित करने की विधि व उद्देश्य का खुलासा करने में योगदान।
5. विभिन्न न्यायालयों में साक्ष्य प्रस्तुतीकरण।

इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला के विशेषज्ञों द्वारा पुलिस तथा न्यायिक अधिकारियों को अपराध अनुसंधान सम्बंधी प्रशिक्षण/ व्याख्यान दिये जाते हैं जिससे प्रयोगशाला द्वारा अपराध अनुसंधान में दी जा रही सहायता की महत्वपूर्ण जानकारी दी जा सकें।

प्रयोगशाला में प्रादर्शों का परीक्षण एवं विश्लेषण कार्य विभिन्न विषयों से सम्बन्धित अनुभागों में उनके लिए ''डायरेक्ट्रेट ऑफ फोरेंसिक साईन्स सर्विसेज, गृह मंत्रालय, भारत सरकार'' द्वारा निर्धारित मेनुअल्स के अनुसार पूर्ण गोपनीयता एवं निष्पक्षता के साथ किया जाता है। प्रत्येक अनुभाग स्तर पर प्रशासनिक एवं वैज्ञानिक कार्यों का पर्यवेक्षण सहायक निदेशक/उपनिदेशक द्वारा किया जाता है। सहायक निदेशक, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक/कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, प्रयोगशाला सहायक एवं अन्य सहायक स्टाफ को मिलाकर एक वर्किंग यूनिट का गठन किया जाता है।

एफ.एस.एल. में प्रकरणों के परीक्षण का कार्य सामान्यत: ''फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व'' आधार पर किया जाता है। विशेष परिस्थितियों जैसे न्यायालय में केस की सुनवाई निर्णय की स्टेज पर होने, आरोपी के न्यायिक अभिरक्षा में होने या जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में लम्बित होने, न्यायालय अथवा अनुसंधान की कार्यवाही बिना एफ.एस.एल. रिपोर्ट के आगे नहीं बढ़ पाने अथवा प्रकरण के सामाजिक तौर पर अतिसंवेदनशील होने के कारण कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के मामलों इत्यादि में प्राथमिकता पर भी परीक्षण किया जाता है। अति-संवेदनशील मामलों में प्राथमिकता पर परीक्षण की व्यवस्था भी रखी गई है। वैज्ञानिक जाँच में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए विशेषज्ञों द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि प्रकरण की रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र दी जा सके।

## प्रशासनिक परिदृश्य

जयपुर मुख्यालय पर उच्च तकनीकी व आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित राजस्थान की मल्टीडिस्प्लीनरी प्रयोगशाला एवं समस्त संभागों पर स्थित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण निदेशक द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2006 से प्रयोगशाला राज्य सरकार के गृह विभाग के नियंत्रणाधीन कार्य कर रही है एवं वर्ष 2010 में निदेशक को विभागाध्यक्ष के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है। क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के सामान्य प्रशासनिक कार्य अतिरिक्त निदेशक/ उपनिदेशक स्तरीय अधिकारियों द्वारा सम्पादित किये जाते है।

वर्तमान में जयपुर मुख्यालय पर निदेशालय राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं अन्य सभी संभाग मुख्यालयों

–जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर व भरतपुर पर क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालायें तथा राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर 34 जिला मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स कार्य कर रही हैं। जयपुर स्थित शीर्षस्तरीय मुख्य प्रयोगशाला में विधि विज्ञान के 13 विषयों में, क्षेत्रीय स्तर की प्रयोगशालायें उदयपुर व बीकानेर में 5, जोधपुर, कोटा व भरतपुर में 4 व अजमेर में 3 खण्डों में परीक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था है।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी संवर्ग के कुल 416 पद स्वीकृत है, मंत्रालयिक एवं लेखा संवर्ग के 41, वाहन चालक एवं सहायक संवर्ग के 57 पद स्वीकृत है। वर्तमान में 225 पद रिक्त हैं जिन को भरे जाने की प्रक्रिया प्राथमिकता पर जारी है।

## प्रकरणों का निष्पादन

राज्य विधि विज्ञान निदेशालय जयपुर एवं क्षेत्रीय स्तर की जोधापुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर एवं भरतपुर की क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं द्वारा वर्ष 2017 में 37,347 अपराध प्रकरणों के 2,08,954 प्रादर्शों का विभिन्न वैज्ञानिक विधियों से परीक्षण किया गया एवं फोरेंसिक रिपोर्ट्स उपलब्ध कराई गई। वर्तमान में विधि विज्ञान प्रयोगशाला में लम्बित प्रकरणों की संख्या 6,412 जो कि विगत दो दशकों में न्यूनतम है। इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला के अधीन कार्यरत फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो में 185 प्रकरणों का परीक्षण किया गया एवं वर्तमान में 307 प्रकरण लम्बित है। विभिन्न प्रकार के अपराध प्रकरणों तथा प्रादर्शों से सम्बन्धित जानकारी पृष्ठ संख्या 4–8 पर दी गयी है। प्रकरणों के प्राप्ति में लगभग 8 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के बावजूद केस परीक्षण के यह वार्षिक आंकडे उल्लेखनीय है, जबकि इस अवधि में प्रयोगशाला में विभिन्न वैज्ञानिक संवर्गो के लगभग 54 प्रतिशत पद रिक्त रहे हैं। वर्ष भर ऐसे प्रकरणों की संख्या अधिक रही जिनमें अपराध के तरीके सामान्य से जटिल थे और सामाजिक तौर पर अधिक संवेदनशील थे। प्रकरणों के परीक्षण के आंकड़े परिशिष्ठ में खण्डानुसार दर्शाये गये हैं।

फोरेंसिक रिपोर्ट्स से जहाँ एक ओर अपराध अन्वेषण को दिशा देने में सहयोग प्रदान किया गया वहीं दूसरी ओर न्यायालयों में अभियुक्तों के विरूद्ध अपराध साबित करने में महत्त्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध कराये गये हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में न्यायालयों द्वारा एफ.एस.एल. की 'एक्सपर्ट रिपोर्ट' को भरोसेमंद मानकर महत्त्व देते हुए अपराधियों को सजा सुनाई हैं।

एफ.एस.एल. वैज्ञानिकों द्वारा वर्ष 2017 में कुल 1505 अपराध घटनास्थलों को निरीक्षण किया गया तथा फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो विशेषज्ञों द्वारा 186 अपराध घटनास्थलों का निरीक्षण किया गया।

## तकनीकी सुदृढ़ीकरण

राजस्थान के सभी जिलों के दूरस्थ क्षेत्रों में अपराध अनुसंधान में जाँच एजेन्सी को अपराध से सम्बंधित पुख्ता साक्ष्य उपलब्ध करवाने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला का तीन चरणों में निम्नानुसार विकास हुआ है :–

### प्रथम चरण:–

मुख्य प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण किया गया है तथा नवीनतम तकनीक का निरन्तर समावेश किये जाने की प्रक्रिया जारी है।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने उन्नत वैज्ञानिक सुविधाओं को विकसित किए जाने के फलस्वरूप न केवल तकनीकी श्रेष्ठता अर्जित की है अपितु अपने द्वारा जारी श्रेष्ठ एवं गुणवत्तायुक्त परीक्षण रिपोर्ट के कारण भारत की उच्च कोटि की अग्रणी प्रयोगशालाओं में अपना स्थान बना लिया है। वर्तमान में प्रयोगशाला आतंककारी, हिंसक, तस्करी, आर्थिक अपराध, घूसखोरी, भूमाफिया, जालसाजी, मादक, विस्फोटक, वन्यजीव अपराध, साइबर अपराध, जाली मुद्रा एवं अन्य संगठित अपराधों के प्रादर्शों की जाँच में सक्षम है। प्रयोगशाला में सामान्य अपराधों की जाँच, भौतिक साक्ष्य एवं अन्य विवरण निम्न प्रकार है–

#### जैविक खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति :– बलात्कार, दुष्कर्म, अबोध बालक–बालिकाओं से दुष्कर्म, हत्या, आत्महत्या, आग से जलने, डूबना, मृत्योपरान्त समयान्तराल, अपहरण, चोरी–डकैती के धारा 302, 307, 376, 377, 363, 366, 498ए, 304बी आईपीसी, 174, 176 सीआरपीसी से सम्बन्धित व पोक्सो एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, वन्य जीव संरक्षण एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, राज. गोवंश संरक्षण एक्ट आदि से सम्बन्धित अपराध आदि।

(2) भौतिक साक्ष्य :– वीर्य के धब्बे युक्त कपड़े, वेजाइनल व यूरेथ्रल स्वाब–स्मीयर, बाल, सिगरेट, बीड़ी, गुटका आदि पर लार, अस्थियाँ, दाँत, कपाल, नाखून, त्वचा, उल्टी, माहवारी रक्त, गर्भपात के समय का रक्तस्राव, भ्रूण, विसरा में डायटम, नारकोटिक पौधे जैसे भाँग–गाँजा, डोडा पोस्त आदि, नकली सिगरेट, बीड़ी, गुटका के तम्बाकू, नकली चाय, कीटों, वानस्पतिक पदार्थ जैसे पत्तियां, रेशे, लकड़ी,

बीज, परागकण आदि, पक्षियों के अंग, जन्तुओं के मांस, बाल, हड्डियां, खुर, सींग, चमड़ा, हाथी दाँत आदि।

हाईरिजोल्यूशन कम्प्यूटराइज्ड रिसर्च माइक्रोस्कोप पर दुष्कर्म के प्रकरणों का विश्लेषण करते वैज्ञानिक

(3) उपकरण:- हाईरिजोल्यूशन कम्प्यूटराइज्ड रिसर्च माइक्रोस्कोप, सुपर इम्पोजीशन डिवाइस, हाईरिजोल्यूशन कम्प्यूटराइज्ड स्टिरियो जूम माइक्रोस्कोप, सेन्ट्रीफ्यूज मशीन, माईक्रोटोम, ऑवेन, इन्क्यूबेटर, डीप फ्रीजर आदि।

## सीरम खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति:- रक्त से सम्बन्धित हिंसक अपराध, हत्या, प्रहार, दुष्कर्म, नवजात शिशु की अदला-बदली, संदिग्ध पैतृकता, वन्य जीव संरक्षण एक्ट, राजस्थान गोवंशीय संरक्षण एक्ट आदि की धारा 302, 307,323, 376, 377, 201 आईपीसी से सम्बन्धित अपराध इत्यादि।

रिसर्च माइक्रोस्कोप पर रक्त समूह की जाँच करते वैज्ञानिक

(2) भौतिक साक्ष्य:- शारीरिक द्रव जैसे रक्त, वीर्य, लार आदि लगे कपड़े, टीश्यू, अस्थियाँ, दाँत, बाल, सिगरेट-बीड़ी, गुटका पर उपस्थित लार, त्वचा, नाखून कतरन में उपस्थित रक्त व टीश्यू, मिट्टी एवं विभिन्न प्रकार के हथियार आदि।

(3) उपकरण :- माइक्रोस्कोप, ऑवेन, सेन्ट्रीफ्यूज मशीन, रेफ्रिजरेटर आदि।

## डी.एन.ए. फिंगरप्रिंटिंग खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति:-हत्या, दुष्कर्म, सामूहिक बलात्कार, नवजात शिशु की अदला-बदली, संदिग्ध पैतृकता, व्यक्ति की सुनिश्चित पहचान, गुमशुदगी, बम विध्वंश, आतंकी एवं आपदा विध्वंशात्मक घटना, मानव तस्करी आदि से सम्बन्धित अपराध इत्यादि।

(2) भौतिक साक्ष्य:- शारीरिक द्रव जैसे रक्त, वीर्य, लार आदि लगे कपड़े, टीश्यू, अस्थियाँ, दाँत, बाल, सिगरेट-बीड़ी, गुटका, लिफाफा व च्यूइंगम पर उपस्थित लार, टूथब्रश, त्वचा, नाखून कतरन में उपस्थित रक्त व टीश्यू, भ्रूण, सड़े-गले, क्षत-विक्षत या आंशिक जले शव अवशेष से अथवा बम-विध्वंश के उपरांत प्राप्त शव के उत्तक-अंग, मिट्टी आदि।

डीएनए आटोमेटेड एक्सट्रेक्टर पर कार्य करते वैज्ञानिक

जीन सीक्वेंसर से डीएनए परीक्षण करते वैज्ञानिक

(3) उपकरण :- ऑटोमेटेड डी.एन.ए. एक्सट्रेक्टर, पी.सी.आर., जेलडॉक सिस्टम, रियल टाइम पी.सी.आर, जीन सिक्वेंसर, रेफ्रीजरेटेड माइक्रोसेन्ट्रीफ्यूज मशीन, लेमीनर फ्लो, शेकिंग वाटरबाथ आदि।

## नारकोटिक्स खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति:- एनडीपीएस एक्ट, एक्साईज एक्ट एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जब्त नशीले एवं मादक पदार्थों से सम्बन्धित प्रकरण।

एचपीएलसी उपकरण से नारकोटिक पदार्थ का परीक्षण करते वैज्ञानिक

(2) भौतिक साक्ष्य:- 1.मादक पदार्थ :- डोडा पोस्त, अफीम तथा उससे निर्मित मादक पदार्थ जैसे स्मैक (ब्राउन शुगर

या हेरोइन), चन्डू, मदक आदि। केनाबिस प्लांट प्रोडक्टस :- भाँग, गांजा, चरस आदि तथा कोकीन। 2.मन:प्रभावी पदार्थ:- मैन्ड्रैक्स, मेथाक्यूलोन, बारबीच्यूरेट्स, बेन्जोडायजेपीन, केटामिन, एल.एस.डी., एम्फीटामिन्स आदि ड्रग्स। 3.प्रतिबंधित रसायन :- जैसे एसीटिक एनहाइड्राइड, एन्थ्रेनेलिक एसिड, क्लोरो एसीटिक एसिड तथा मादक पदार्थो के व्युत्पन्न के निर्माण में प्रयुक्त रसायन।

(3) उपकरण:- एच.पी.एल.सी., एच.पी.टी.एल.सी., यू.वी. विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आदि।

## रसायन खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति:- अवैध शराब, शराब माफिया, जहरीली शराब त्रासदी, 16/54 व 19/54 आबकारी अधिनियम, रिश्वत, मिलावट, हत्या, तेजाब से जलाने के, 7, 13, 1 डी (2) भ्रष्टाचार निवारण एक्ट, धारा 420, 302, 307 आईपीसी से सम्बन्धित प्रकरण, धोखाधाड़ी आदि से सम्बन्धित प्रकरण।

(2) भौतिक साक्ष्य:- देशी व विदेशी शराब, अवैध शराब, तेजाब से जले कपड़े, साबुन, डिटर्जेट पाउडर, ट्रेप घोल (ए.सी.बी. केसेज) आदि।

डीजल एवं गैसोलीन एनालाइजर पर डीजल व पैट्रोल पदार्थो के परीक्षण करते वैज्ञानिक

(3) उपकरण:-एच.पी.एल.सी., गैस क्रोमेटोग्राफ, यू.वी. विजिबल स्पक्ट्रोफोटोमीटर, डिजिटल बैलेंस, ओवन, मेल्टिंग पांइट उपकरण, डिस्टिलेशन उपकरण, आदि।

## आर्सन एवं एक्सप्लोजिव खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति:- आगजनी, धोखाधड़ी, दहेज हत्या व आवश्यक वस्तु 3/7 ई.सी. एक्ट, एक्सप्लोज़िव एक्ट, धारा 302, 307 आईपीसी आदि से सम्बन्धित प्रकरण।

(2) भौतिक साक्ष्य:- ज्वलनशील पैट्रोलियम पदार्थ, विलायक (सॉल्वेन्ट), एक्सप्लोज़िव्स मोबिल ऑयल, दहेज हत्या व आगजनी, विस्फोटक पदार्थ, आई.ई.डी. व विस्फोट जनित अवशेष।

गैस क्रोमेटोग्राफ पर पैट्रोलियम पदार्थ का विश्लेषण करते वैज्ञानिक

(3) उपकरण:-पेट्रोल एवं डीजल एनालाइजर, एच.पी.एल.सी., गैस क्रोमेटोग्राफ, आटोमैटिक डिस्टिलेशन उपकरण, फ्लेश पाइंट उपकरण आदि।

## भौतिक खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति:- वाहन चोरी, सेंधमारी, डकैती, लूट-पाट, अपहरण, औद्योगिक एवं वाहन दुर्घटना, हत्या, टक्कर मारकर भागना, सड़क, बाँध, पुल, भवन सामग्री में मिलावट, आगजनी एवं शॉर्ट सर्किट, आरपीजीओ, स्टिंग ऑपरेशन, भ्रष्टाचार प्रकरण, 420 आईपीसी जालसाजी, कॉपीराईट एक्ट।

(2) भौतिक साक्ष्य :- मोटर कार, काँच, पेंट, मिट्टी, जूते/टायर निशान, औजार चिन्ह, रेशे, कपड़े, रस्सी, रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट से छेड़-छाड़, आग्नेय शस्त्र व वाहनों के इंजन/चेसिस नम्बर, नकली सामान, विद्युत आघात, विद्युत चोरी, अभियांत्रिक मशीन के भाग एवं औजार, भवन एवं औद्योगिक भवन का गिरना, सीमेंट कंकरीट, ईट व अन्य सड़क सामग्री, सरिया, आवाज (ऑडियो) विश्लेषण द्वारा अपराधी की पहचान, फाँसी फंदा, कट मार्क्स, जुआ खोल, आगजनी, कॉपी राईट आदि।

स्कैनिंग इलेक्ट्रान सूक्ष्मदर्शी पर कार्यरत वैज्ञानिक

करते वैज्ञानिक

(3) उपकरण :- एफ.टी. रमन, ग्रीम, स्केनिंग इलेक्ट्रोन माईक्रोस्कोप, एक्स.आर.एफ., कम्प्यूटराईज्ड स्पीच लैब (मॉडल-4500) आदि।

## साईबर फोरेन्सिक खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति:-इंटरनेट जनित ई-कॉमर्स सम्बन्धित आर्थिक अपराध, ई-बैंकिंग धोखाधड़ी, सोशल मीडिया पर होने वाले अपराध, तस्करों/जासूसों/घुसपैठियों /आतंकियों से सम्बन्धित संवेदनशील तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बंधित अपराधों /साईबर अपराधों, महिला अशिष्ट निरुपेण, ब्लैकमैलिंग, मानहानी, डाटा हाईडिंग/ टेंपरिंग/डिलीशन, फेक डॉक्यूमेंट, धोखाधड़ी, जुआ-सट्टेबाजी, हैकिंग, पोर्नोग्राफी, मनी लॉण्डरिंग, स्नीफिंग, स्टेग्नोग्राफी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, जैसे साईबर अपराधों के अतिरिक्त विडियो ऑथेंटिकेशन, सीसीटीवी फूटेज तथा अन्य सामान्य अपराधों जिसमें प्रयुक्त कम्प्यूटर, मोबाईल तथा मेमोरी स्टोरेज मय इलेक्ट्रोनिक उपकरण/प्रोग्रामयुक्त इलेक्ट्रोनिक उपकरण आदि से सम्बंधित अपराध।

(2) भौतिक साक्ष्य:-साईबर/कम्प्यूटर क्राइम से सम्बन्धित समस्त प्रोगामयुक्त इलेक्ट्रॉनिक/मेमोरी स्टोरेजयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कम्प्यूटर, लैपटॉप, मोबाईल फोन, टैबलेट सिमकार्ड, पेनड्राईव, मेमोरीकार्ड, मैग्नेटिक एवं ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन, ए.टी.एम. मशीन, मैग्नेटिक एवं इलेक्ट्रॉनिक कार्ड स्वैपिंग मशीन, सॉफ्टवेयर इत्यादि।

मोबाइल फोन फोरेंसिक एक्स आर वाई साफ्टवेयर पर डेटा का परीक्षण करते वैज्ञानिक

(3) उपकरण:- कम्प्यूटर फोरेंसिक सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर-एनकेस फोरेंसिक वर्जन 8.05, एफ.टी.के. इंटरनेशनल वर्जन 6.2, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, हाई स्पीड क्लोनर/इमेजिंग डिवाइस। मोबाईल फोरेंसिक सॉफ्टवेयर-एक्स. आर. वाई. वर्जन 7.5, सेल डेक टेक टूलकिट आदि।

## विष खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति:- हत्या, आत्महत्या, जहरखुरानी, दुर्घटना द्वारा मृत्यु जिसमें विष का संदेह हो, सर्पदंश, जन्तु विष, सामूहिक आपदा एवं 302, 328, 498ए, 304बी आईपीसी, 174, 176 सीआरपीसी, वन्य जीव एक्ट व राज. गोवंश संरक्षण एक्ट इत्यादि के अपराध।

(2) भौतिक साक्ष्य:- विसरा, पेट की धोवन, उल्टी, रक्त, मूत्र में विष व विषजनित पदार्थ, जहरीली शराब, मादक व शामक औषधि, कीटनाशक दवाएं।

यू.वी. विजिबल स्पक्ट्रोफोटोमीटर उपकरण पर ड्रग परीक्षण करते वैज्ञानिक

जी.सी.मास उपकरण पर रक्त-एल्कोहल का परीक्षण करते वैज्ञानिक

(3) उपकरण:- यू.वी. विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एफ.टी. आई.आर., डी.आई.पी. युक्त गैस क्रोमेटोग्राफ-मास स्पेक्ट्रोमीटर हेडस्पेस, एच.पी.एल.सी., एच.पी.टी.एल.सी., माईक्रोवेव सोलवेन्ट एक्सट्रेक्टर आदि।

## प्रलेख खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति:- भूमाफिया व जालसाजी, धोखाधड़ी, घोटाला, फिरौती, हत्या, बलात्कार, आत्महत्या, कापी-राइट एक्ट, ऑफीशियल सीक्रेट्स एक्ट।

(2) भौतिक साक्ष्य:- हस्तलेख, हस्ताक्षर, बैंक चेक, जायदाद खरीद/फरोख्त/हस्तांतरण संबंधी कागजात, टाइप लेख, दस्तावेजों में कांट-छांट, गुप्त लेख, रबर सील छाप, स्याही व कागज मिलान, जाली नोट, फोटोकापी मिलान, प्रिंटेड लेबल मिलान, वाहनों के रजिस्ट्रेशन व क्रय-विक्रय के पत्रादि, राशनकार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वीजा, स्टाम्प पेपर, क्रेडिट कार्ड इत्यादि।

आधुनिक वी.एस.सी. 6000 उपकरण से संबन्धित दस्तावेज की जाँच करते वैज्ञानिक

(3) उपकरण:- स्टीरियो जूम माईक्रोस्कोप, वी.एस.सी. 6000, यू.वी. उपकरण आदि।

### अस्त्रक्षेप खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति:- हत्या, हत्या का प्रयास, आत्महत्या, दुर्घटनावश गोली चलना, लूट- डकैती, अपहरण, दहशत फैलाना, डराना-धामकाना आदि।

(2) भौतिक साक्ष्य:- विभिन्न आग्नेयास्त्र व उसके हिस्से, कारतूस, खोखा कारतूस, डॉट, छर्रे, बुलेट, बारूद, परकुशन कैप, टारगेट जहाँ पर छर्रे अथवा बुलेट लगी, देशी तमन्चा, आर्म्स एक्ट के हथियार इत्यादि।

कम्पेरिजन माइक्रोस्कोप उपकरण पर कार्य करते वैज्ञानिक

आग्नेयास्त्र की जाँच करते वैज्ञानिक

(3) उपकरण:- कम्पेरिजन माईक्रोस्कोप एवं वेलोसिटी मेजरिंग यूनिट आदि।

### पॉलीग्राफ (लाई - डिटेक्शन) खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति:- धोखाधड़ी, डकैती, चोरी, आगजनी, हत्या आदि प्रकरणों में संदिग्ध, गवाह अथवा शिकायतकर्ता द्वारा दिये गये बयान की सत्यता की पहचान।

(2) भौतिक साक्ष्य:- संदिग्ध, गवाह अथवा शिकायतकर्ता के दिए गये बयान आदि।

(3) उपकरण:- कम्प्यूटराईज्ड पोलीग्राफ उपकरण (मॉडल एल.एक्स. 5000) आदि।

### फोटो खण्ड

(1) जाँच की प्रकृति:- अपराध प्रदर्शन/घटनास्थल की फोटोग्राफी, विशेष फोटोग्राफी, ट्रिक फोटोग्राफी, फोटो-मिलान, अध्यारोपण आदि।

(2) भौतिक साक्ष्य:- धोखाधड़ी, जमीन- जायदाद/ स्टाम्प पेपर के फोटोग्राफ, पासपोर्ट व अन्य पहचान पत्रों पर फोटोग्राफ का परीक्षण।

(3) उपकरण एवं सॉफ्टवेयर:- एच.पी. डिजाइन जेट प्लॉटर एंव फेस फोरेंसिक सॉफ्टवेयर।

### फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो

(1) जाँच की प्रकृति:- चोरी, डकैती, मर्डर, दस्तावेजी कूट रचना, जालसाजी आदि अपराधों तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर चांस प्रिन्ट डवलप एवं फोटोग्राफी, अंगुल चिन्ह से अपराधी की पहचान करना आदि।

(2) भौतिक साक्ष्य:- दस्तावेजी, चांस प्रिन्ट, सिविल, पद चिन्ह, 10 डिजिट रिकॉर्ड, सिंगल डिजिट रिकॉर्ड आदि।

(3) उपकरण:- ऐफिस, कैनन कैमरा 450डी मय ट्राईपोड, कैनन डी 1000 कैमरा, डिजिटल कैमरा, चांस प्रिन्ट डवलपिंग किट, फिंगर प्रिन्ट लिफ्टींग किट, डस्ट प्रिन्ट लिफ्टर, साईनोएक्रोलेट फ्यूमिंग सिस्टम, लिनेन टेस्टर आदि।

*नोटः-फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो का एफ.एस.एल. में समायोजन प्रक्रियाधीन है। एफ.पी.बी. के एफ.एस.एल. में समायोजन उपरांत इसका तकनीकी विकास किये जाने की योजना है।*

## न्यायालयिक विज्ञान के सिद्धान्त

1. वैयक्तिकता का नियम : प्रत्येक वस्तु प्राकृतिक अथवा कृत्रिम अपने आप में विशिष्ट होती है। वह किसी भी अन्य वस्तु के शतप्रतिशत समान नहीं हो सकती।
2. लोकार्ड का विनिमय सिद्धान्त : सम्पर्क में आने पर वस्तुओं एवं चिन्हों का सदैव आदान प्रदान होता है।
3. प्रगतिशील परिवर्तन का नियम : समय व्यतीत होने के साथ हर वस्तु में परिवर्तन होता है।
4. तुलना का सिद्धांत : केवल एक प्रकार की वस्तुओं की ही तुलना की जा सकती है।
5. विश्लेषण का सिद्धांत : परीक्षण हेतु भेजा गया नमूना जितना अच्छा होता है परिणाम उतने ही अच्छे होते है।
6. संभावना का सिद्धांत : निश्चित या अनिश्चित प्रत्येक प्रकार की पहचान सदैव संभावना के आधार पर ही की जाती है।
7. परिस्थितिजन्य तथ्यों का नियम: व्यक्ति झूठ बोल सकता है किन्तु भौतिक साक्ष्य कदाचित नहीं।

सामान्य प्रकार के अपराधों के अतिरिक्त निम्न अग्रणी, हाई-टेक एवं अत्याधुनिक क्षेत्रों में नवीनतम तकनीक के साथ परीक्षण कार्य किया जाता है :-

| | | |
|---|---|---|
| 1 | साईबर फोरेंसिक्स (कम्प्यूटर फोरेंसिक, मोबाईल फोरेंसिक व नेटवर्क फोरेंसिक ) | इंटरनेट जनित ई-कॉमर्स सम्बन्धित आर्थिक अपराध, ई-बैंकिंग धोखाधड़ी, सोशल मीडिया पर होने वाले अपराध, तस्करों/जासूसों/ घुसपैठियों/ आतंकियों से सम्बंधित संवेदनशील तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बंधित अपराधों/साईबर अपराधों, महिला अशिष्ट निरुपेण, ब्लैकमैलिंग, मानहानी, डाटा हाईडिंग/ टेंपरिंग / डिलीशन, फेक डॉक्यूमेंट, धोखाधड़ी, जुआ-सट्टेबाजी, हैकिंग, पोर्नोग्राफी, मनी लॉण्डरिंग, स्नीफिंग, स्टेग्नोग्राफी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, जैसे साईबर अपराधों के अतिरिक्त स्टिंग ऑपरेशन, विडियो ऑथेंटिकेशन, सीसीटीवीफूटेज तथा अन्य सामान्य अपराधों जिसमें प्रयुक्त कम्प्यूटर, मोबाईल तथा मेमोरी स्टोरेज मय इलेक्ट्रोनिक उपकरण/प्रोग्रामयुक्त इलेक्ट्रोनिक उपकरण का परीक्षण कार्य जयपुर स्थित प्रयोगशाला में किया जा रहा है। |
| 2 | वाणी (ऑडियो) परीक्षण | अपहरण, रिश्वत खोरी, होक्स (टेलीफोन) कॉल अथवा धमकी देने के मामलों में आवाज से व्यक्ति विशेष की पहचान के सबूत जुटाने के लिए कम्प्यूटराइज्ड डिजिटल वॉयस एनालाईजर प्रयोग में लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गुप्त डिजिटल रिकॉर्डर से स्टिंग आपरेशन से कूटरचित ऑडियो रिकार्डिग की सत्यता परखने के लिए उन्नत उपकरण प्रयोग में लिये जा रहे है। |
| 3 | वाइल्ड-लाइफ फोरेंसिक्स | वन्य जीव अपराधों से निपटने के लिए जयपुर एफ.एस.एल. में वन्य जीवों के अंगो व अवशेषों का परीक्षण किया जा रहा है। |
| 4 | फोरेंसिक डी.एन.ए. फिंगरप्रिंटिंग | बलात्कार, हत्या जैसी हिंसक वारदातों में अपराधी की पहचान, संदिग्ध पैतृकता में पिता की पहचान, कंकाल से मृतक की पहचान, दहेज हत्या, गैंग रेप, विकृत शवों से गुमशुदा व्यक्ति की पहचान के लिए एवं भ्रूण हत्या के मामलों के परीक्षण के लिए जयपुर में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की जांच की जाती है। |
| 5 | पॉलीग्राफ परीक्षण | धोखाधड़ी, डकैती, चोरी, आगजनी, हत्या आदि प्रकरणों में संदिग्ध, गवाह अथवा शिकायतकर्ता द्वारा दिये गये बयान की सत्यता की पहचान की जाती है। |

## द्वितीय चरण:-

विधि विज्ञान प्रयोगशाला के उपयोग के क्षेत्र को बढ़ाने के क्रम में संभागीय मुख्यालयों पर परीक्षण सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जोधपुर, उदयपुर एवं कोटा में नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं आधुनिकतम भवनों में कार्य कर रही हैं। बीकानेर क्षेत्रीय प्रयोगशाला में भौतिक, अस्त्रक्षेप, विष, जैविक तथा सीरम खण्ड में कार्य प्रारंभ किया जा चुका है तथा क्षेत्रीय प्रयोगशाला बीकानेर के भवन के प्रथम तल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अजमेर के क्षेत्रीय प्रयोगशाला में रसायन, विष व सीरम खण्ड कार्यरत हैं। अजमेर की स्वयं की क्षेत्रीय प्रयोगशाला भवन के प्रथम तल का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भरतपुर में जैविक, सीरम, विष एवं भौतिक खण्ड द्वारा परीक्षण कार्य किया जा रहा है। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर में स्वीकृत जैविक खण्ड का कार्य प्रारम्भ किया जाना है।

## तृतीय चरण:-

साक्ष्य सामग्री के वैज्ञानिक विधियों से शीघ्र से शीघ्र चिन्हीकरण एवं एकत्रीकरण करने हेतु राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर फोरेंसिक मोबाईल यूनिट्स कार्यरत है, जो घटनास्थल पर शीघ्र पहुंचकर जाँच अधिकारी को वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करने में सहायता देती है। इस कार्य हेतु प्रत्येक यूनिट में फोरेंसिक वैज्ञानिक, वाहन, उपकरण एवं रसायनों की सुविधा का प्रावधान किया गया है।

## प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास

प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्धारा भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान न्यायिक सेवा, राजस्थान वन सेवा, लोक अभियोजक, चिकित्सा अधिकारियों, विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों एवं विभिन्न राज्यों से आगंतुक अधीनस्थ पुलिस कार्मिकों को न्यायालयिक विज्ञान सम्बंधी व्याख्यान एवं प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर के परिसर में फोरेंसिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एफ.टी.आर.आई.) के भूतल भवन का निर्माण किया गया है, जिसमें वर्ष 2017 में 407 फोरेंसिक वैज्ञानिकों तथा पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

प्रयोगशाला के वैज्ञानिक द्धारा देश के विभिन्न संस्थानों व विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिये गये। प्रयोगशाला के अनेक वैज्ञानिकों के शोध पत्र राष्ट्रीय स्तर के जर्नल में प्रकाशित हुए। प्रयोगशाला के विभिन्न स्तर के वैज्ञानिकों को देश के उच्च वैज्ञानिक संस्थानों में प्रशिक्षण दिलवा कर आधुनिक विधियों से अद्यतन करवाया जाता है।

## राज्य विधि विज्ञान निदेशालय : अपराध अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका

आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन प्रमुख स्तम्भों के रूप में पुलिस एवं न्यायालय के मध्य राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला एक अभिन्न एवं संयोजी कड़ी के रूप में कार्यरत है। बहुवैज्ञानिक संस्थान के रूप में स्थापित इन प्रयोगशालाओं में प्रामाणिक वैज्ञानिक विधियों एवं अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता से अपराध सम्बंधी भौतिक सामग्री (आपराधिक प्रादर्शो) का विश्लेषणात्मक परीक्षण किया जाता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 के तहत विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की परीक्षण रिपोर्ट अपराध में संदिग्ध व्यक्ति की लिप्तता स्थापित करने हेतु साक्ष्य के रूप में मान्य है। 'एक्सपर्ट ओपिनियन' के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली ये रिपोर्ट निदेशक, उप निदेशक एवं सहायक निदेशक स्तरीय अधिकारियों के द्धारा जारी की जाती है।

प्रयोगशाला में प्राप्त होने वाले प्रकरण आईपीसी, सीआरपीसी, पोक्सो एक्ट, आर्म्स एक्ट, आई.टी. एक्ट, महिला अशिष्ट निरूपण एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेटस एक्ट, कॉपीराईट एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट, आरपीजीओ एक्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट एक्ट, गौवंश संरक्षण एक्ट से सम्बन्धित होते है। फोरेंसिक रिपोर्ट मुख्यत: राज्य की पुलिस एवं न्यायालयों को उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त सी.बी.आई., राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नारकोटिक्स, रसद, आबकारी, रेल्वेज, कस्टम, आयकर, वन, सैन्य विभाग, स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों को भी रिपोर्ट दी जा रही है।

प्रयोगशाला में जाँच हेतु विभिन्न प्राधिकृत सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं एवं व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले अपराध प्रादर्शो के परीक्षण के अतिरिक्त अन्वेषक संस्थाओं को अन्वेषण की दिशा तय करने के लिए घटना स्थल पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्य सामग्री के चिन्हीकरण एवं एकत्रीकरण में वैज्ञानिक सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। जिससे अपराध के घटित होने, घटना का समय काल, तरीका एवं अपराधी तक पहुचने में मदद मिलती है।

जटिल अपराधों की गुत्थी सुलझाने के लिए प्रकरण विशेष की आवश्यकतानुसार शोध एवं विकास कार्य भी किये जाते है। ये शोध एवं विकास कार्य विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों में जारी शोध कार्यो की अपेक्षा विशिष्ट एवं भिन्न होते हैं।

# संगठनात्मक ढांचा (तकनीकी)

## निदेशालय
## राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान

- राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर
  - रसायन खण्ड
  - प्रलेख खण्ड
  - जैविक खण्ड
  - विष खण्ड
  - सीरम खण्ड
  - भौतिक खण्ड
  - फोटो खण्ड
  - अस्त्रक्षेप खण्ड
  - डी.एन.ए. खण्ड
  - नारकोटिक्स खण्ड
  - साईबर फोरेन्सिक खण्ड
  - आर्सन एवं एक्सप्लोसिव खण्ड
  - पॉलीग्राफ (लाई-डिटेक्शन) खण्ड
  - फिंगर प्रिंट ब्यूरो
- क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर
  - रसायन खण्ड
  - प्रलेख खण्ड
  - जैविक खण्ड
  - विष खण्ड
  - सीरम खण्ड
- क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर
  - रसायन खण्ड
  - प्रलेख खण्ड
  - जैविक खण्ड
  - विष खण्ड
  - सीरम खण्ड
- क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला कोटा
  - जैविक खण्ड
  - विष खण्ड
  - सीरम खण्ड
  - भौतिक खण्ड
- क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला अजमेर
  - रसायन खण्ड
  - विष खण्ड
  - सीरम खण्ड
- क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भरतपुर
  - जैविक खण्ड
  - विष खण्ड
  - सीरम खण्ड
  - भौतिक खण्ड
- क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला बीकानेर
  - जैविक खण्ड
  - विष खण्ड
  - सीरम खण्ड
  - भौतिक खण्ड
  - अस्त्रक्षेप खण्ड
- जिला मोबाइल फोरेन्सिक यूनिट (कुल-34)
  - जयपुर में दो मोबाइल फोरेन्सिक यूनिट तथा अन्य सभी जिला मुख्यालय पर एक-एक जिला मोबाइल फोरेन्सिक यूनिट

# राज्य विधि विज्ञान निदेशालय का संगठनात्मक स्वरूप

## स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण (दिनांक 01-01-2018 की स्थिति में)

### कैडरवाईज स्थिति

| क्रम सं. | पद का नाम | स्वीकृत पद | वर्तमान नफरी | रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| 1. | तकनीकी अधिकारी | 126 | 62 | 64 |
| 2. | तकनीकी कर्मचारी | 290 | 129 | 161 |
| | कुल योग | **416** | **191** | **225** |

### वैज्ञानिक एवं तकनीकी संवर्ग

| क्रम. सं. | पद का नाम | स्वीकृत पद | वर्तमान नफरी | रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | निदेशक | 01 | 01 | — |
| 2 | अतिरिक्त निदेशक | 04 | — | 04 |
| 3 | उप निदेशक | 05 | 01 | 04 |
| 4 | सहायक निदेशक | 39 | 23 | 16 |
| 5 | वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी | 77 | 37 | 40 |
| 6 | वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक | 43 | 13 | 30 |
| 7 | कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक | 92 | 55 | 37 |
| 8 | मैकेनिक | 01 | — | 01 |
| 9 | तकनीकी सहायक | 01 | — | 01 |
| 10 | प्रयोगशाला सहायक | 76 | 20 | 56 |
| 11 | कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक | 77 | 41 | 36 |
| | कुल योग | 416 | 191 | 225 |

### मंत्रालयिक एवं लेखा संवर्ग

| क्रम. सं. | पद का नाम | स्वीकृत पद | वर्तमान नफरी | रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| 1. | लेखाधिकारी | 01 | 01 | — |
| 2. | सहायक लेखाधिकारी | 01 | 01 | — |
| 3. | कनिष्ठ लेखाकार | 06 | 03 | 03 |
| 4. | अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी | 01 | 02* | — |
| 5. | सहायक प्रशासनिक अधिकारी | 05 | 02 | 03 |
| 6. | निजी सहायक | 01 | — | 01 |
| 7. | शीघ्रलिपिक | 02 | 01 | 01 |
| 8. | वरिष्ठ सहायक | 08 | 07 | 01 |
| 9. | कनिष्ठ सहायक | 16 | 14 | 02 |
| 10. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 30 | 20 | 10 |
| 11. | प्रयोगशाला कर्मचारी | 09 | 02 | 07 |
| 12. | कारपेन्टर | 01 | — | 01 |
| 13. | कानि0ड्राईवर | 14 | 13 | 01 |
| 14. | चालक | 03 | — | 03 |
| | कुल योग | 98 | 67 | 31 |

*अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पद पर स्वीकृत पद से एक अतिरिक्त अधिकारी कार्यरत है।

# नियमित बजट एवं आधुनिकीकरण योजना अन्तर्गत राशि

(अ) वर्ष 2017-18 बजट आवंटन एवं व्यय (आयोजना भिन्न राशि रूपए लाखों में)

| क्र.सं. | शीषर्क | आंवटन | व्यय | शेष राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | संवेतन (01) | 1800.00 | 1209.43 | 590.57 |
| 2. | यात्रा व्यय (03) | 8.00 | 6.66 | 1.34 |
| 3. | चिकित्सा व्यय (04) | 5.00 | 2.30 | 2.70 |
| 4. | कार्यालय व्यय (05) | 65.00 | 47.13 | 17.87 |
| 5. | वाहनों का संधारण (पेट्रोल/डीजल व्यय) (07) | 20.00 | 10.10 | 9.90 |
| 6. | वृत्तिक व विशिष्ट सेवाएं व्यय (08) | 5.00 | - | 5.00 |
| 7. | किराया रॉयल्टी व्यय (09) | 10.00 | 6.71 | 3.29 |
| 8. | मशीनरी एवं उपकरण व्यय (18) | 223.00 | 102.27 | 120.73 |
| 9. | मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय (21) | 60.00 | 17.38 | 42.62 |
| 10. | वर्दी व्यय (37) | 0.50 | 0.26 | 0.24 |
| 11. | संविदा व्यय (41) | 50.00 | 33.33 | 16.67 |
| 12. | कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी संचार व्यय (62) | 42.00 | - | 42.00 |
| | योग ( आयोजना भिन्न ) | 2288.50 | 1435.57 | 852.93 |

(ब) वर्ष 2017-18 आयोजना बजट मद ( राशि रूपए लाखों में)

| क्र.सं. | मद का नाम | आंवटन | व्यय | शेष |
|---|---|---|---|---|
| 1. | वृहद निर्माण-अजमेर तथा बीकानेर, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भवन का निर्माण (17) | 900.00 | 341.77 | 558.23 |
| 2. | मशीनीकरण, उपकरण, औजार इत्यादि (पुलिस आधुनिकीकरण) (18) | 250.00 | 13.92 | 236.08 |
| | | 1150.00 | 355.69 | 794.31 |

# ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : चरणबद्ध विकास

1. वर्ष 1959 में राज्य में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना गृह विभाग के आदेशों से पुलिस मुख्यालय में प्रलेख एवं फोटो खण्ड से आरम्भ हुई। 1967 में रसायन, 1970 में जैविक एवं 1973 में भौतिक खण्ड प्रारम्भ हुआ।
2. वर्ष 1970 में प्रयोगशाला में प्रथम तकनीकी निदेशक की नियुक्ति की गई।
3. वर्ष 1974 में प्रयोगशाला भवन का राजस्थान पुलिस अकादमी के समीप नेहरू नगर में पृथक प्रांगण में निर्माण करा प्रयोगशाला उसमें स्थानांतरित की गई।
4. वर्ष 1974 में अस्त्रक्षेप, 1983 में विष एवं 1984 में सीरम खण्डों में परीक्षण आरंभ किया गया।
5. वर्ष 1992 में नारकोटिक्स, आर्सन एण्ड एक्सप्लोसिव तथा लाइडिटेक्शन खण्डों के स्वीकृति आदेश जारी।
6. वर्ष 1995 में जोधपुर एवं उदयपुर की क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं स्वीकृत एवं 1997 से इनमें परीक्षण कार्य आरंभ।
7. वर्ष 1998 में जोधपुर क्षेत्रीय प्रयोगशाला भवन का शिलान्यास एवं निर्माण आरंभ।
8. वर्ष 2004 में डी.एन.ए. फिंगरप्रिंटिंग भवन का निर्माण प्रारंभ, कम्प्यूटर लैब एवं वन्यजीव फोरेंसिक के लिए भवन निर्माण, उदयपुर क्षेत्रीय प्रयोगशाला भवन का निर्माण एवं शासन द्धारा 30 जिला चल इकाइयों की स्वीकृति।
9. वर्ष 2005 में कोटा क्षेत्रीय प्रयोगशाला के भवन का निर्माण। मुख्य प्रयोगशाला, जयपुर में कम्प्यूटर फोरेंसिक, ऑडियो वीडियो ऑथेंटिकेशन एवं साईबर फोरेंसिक तकनीक का कार्य प्रारंभ।
10. वर्ष 2006 में उदयपुर प्रयोगशाला भवन का लोकार्पण, 16 जिला चल इकाइयों की स्थापना, डी.एन.ए. एवं साईबर लैब के लिए पृथक स्टाफ स्वीकृत।
11. वर्ष 2007 में कोटा क्षेत्रीय प्रयोगशाला में आंशिक स्टाफ स्वीकृति पश्चात कार्य आरंभ, 14 जिला मोबाईल यूनिट्स की स्थापना, 7 चल इकाईयों के भवन का निर्माण प्रारंभ।
12. वर्ष 2008 में डी.एन.ए. पृथक्करण का कार्य आरंभ हुआ। बीकानेर क्षेत्रीय प्रयोगशाला के लिए आंशिक स्टाफ स्वीकृत। 4 जिला मोबाईल यूनिट का स्टाफ स्वीकृत एवं वर्ष 2009 से कार्य आरंभ।
13. वर्ष 2010 में जयपुर में डी.एन.ए. परीक्षण हेतु अन्य आवश्यक उपकरण स्थापित।
14. वर्ष 2011 में अजमेर क्षेत्रीय प्रयोगशाला प्रथम चरण के स्वीकृति आदेश जारी।
15. वर्ष 2013 में साईबर फोरेन्सिक खण्ड, जयपुर के सहायक निदेशक का पद स्वीकृत हुआ।
16. वर्ष 2013 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर में रसायन खण्ड ने कार्य प्रारंभ किया।
17. वर्ष 2014 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बीकानेर में विष, जैविक एवं सीरम खण्ड तथा क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर में विष खण्ड ने कार्य करना प्रारंभ किया।
18. वर्ष 2015 में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर के परिसर में फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के भवन के भूतल का निर्माण किया गया।
19. वर्ष 2015 में भरतपुर के क्षेत्रीय प्रयोगशाला में भौतिक, जैविक, सीरम तथा विष खण्ड प्रारम्भ एवं क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर में जैविक खण्ड आरम्भ हुआ।
20. वर्ष 2016 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर तथा बीकानेर में क्षेत्रीय प्रयोगशाला के भूतल भवन का निर्माण किया गया।
21. वर्ष 2017 में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर मे स्थापित पॉलिग्राफ सेंटर में कार्य प्रारम्भ किया गया है।
22. वर्ष 2017 में फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में सुविधाओं का विस्तार कर अपराधों के वैज्ञानिक अनुसंधान में कौशल विकास का कार्य प्रारम्भ किया गया है।
23. वर्ष 2017 में फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो को एफ.एस.एल. के अधीन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

# प्रकरण सांख्यिकी (Case Statistics)

## Directorate of Forensic Science Laboratory Rajasthan
## Case Statistics from 01-01-2017 to 31-12-2017

### (i) Statement showing position of Received, Disposal and Pending Cases for SFSL and RFSLs.

| S. NO. | Forensic Science Laboratories | PENDING ON 01-01-2017 | RECEIVED CASES | TOTAL CASES | EXAMINED | | PENDING ON 31-12-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CASES | EXHIBITS | |
| 1. | State FSL Jaipur | 2157 | 16441 | 18598 | 15905 | 98491 | 2693 |
| 2. | Regional FSL Jodhpur | 601 | 5674 | 6275 | 5577 | 32684 | 698 |
| 3. | Regional FSL Udaipur | 1024 | 5776 | 6800 | 5643 | 27759 | 1157 |
| 4. | Regional FSL Kota | 1182 | 2164 | 3346 | 2956 | 14603 | 390 |
| 5. | Regional FSL Bikaner | 1024 | 2295 | 3319 | 2588 | 16734 | 731 |
| 6. | Regional FSL Ajmer | 480 | 3659 | 4139 | 3442 | 11397 | 697 |
| 7. | Regional FSL Bharatpur | 134 | 1148 | 1282 | 1236 | 7286 | 46 |
| | **Grand Total :** | **6602** | **37157** | **43759** | **37347** | **208954** | **6412** |

### (ii) Total number of Crime Scenes visited in the Rajasthan:- 1505

### (iii) Statement showing Received, Disposal and position of Pending cases of State Forensic Science Laboratory, Jaipur:

| S. NO. | NAME OF DIVISION | PENDING CASES ON 01-01-2017 | RECEIVED CASES in 2017 | TOTAL CASES | EXAMINED CASES | | PENDING CASES ON 31-12-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CASES | EXHIBITS | |
| 1- | Document Division | 106 | 658 | 764 | 611 | 46853 | 153 |
| 2- | Chemistry Division | 134 | 7582 | 7716 | 7045 | 9365 | 671 |
| 3- | Arson & Explosive | 213 | 207 | 420 | 395 | 927 | 25 |
| 4- | Narcotics Division | 319 | 1581 | 1900 | 1321 | 2647 | 579 |
| 5- | Biology Division | 110 | 1120 | 1230 | 1230 | 9035 | 0 |
| 6- | Physics Division | 115# | 462 | 577# | 572* | 2823* | 53 |
| 7- | Cyber Forensic Division | - | 262 | 262 | 72 | 501 | 142 |
| 8- | Polygraph Division | - | 24 | 24 | 23 | 42 | 01 |
| 9- | Ballistics Division | 111 | 237 | 348 | 261 | 2058 | 87 |
| 10- | Toxicology Division | 615 | 1893 | 2508 | 1985 | 12499 | 523 |
| 11- | Serology Division | 325 | 1834 | 2159 | 2073 | 10448 | 86 |
| 12- | DNA Division | 109 | 581 | 690 | 317 | 1293 | 373 |
| | **Total** | **2157** | **16441** | **18598** | **15905** | **98491** | **2693** |
| | **Photo Section :** | 84 | 1153 | 1237 | 1149 | Snap-19885 | 88 |
| | | | | | | Print- 13872 | |

# प्रकरणों में साईबर के प्रकरण भी सम्मिलित है।

* जनवरी से जुलाई 2017 तक परीक्षण किये गये साईबर के 93 प्रकरण तथा 636 प्राद्वर्श सम्मिलित है।

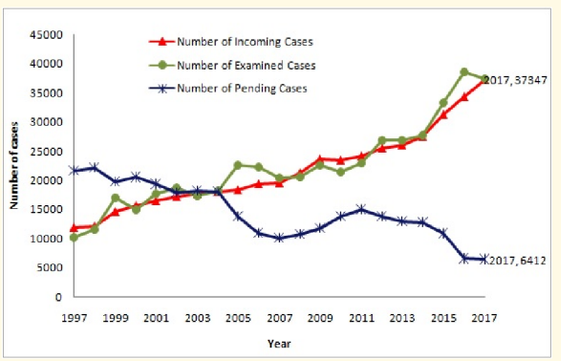


FSL Case Statistics: Incoming, Examined and Pending Cases during Last two decades

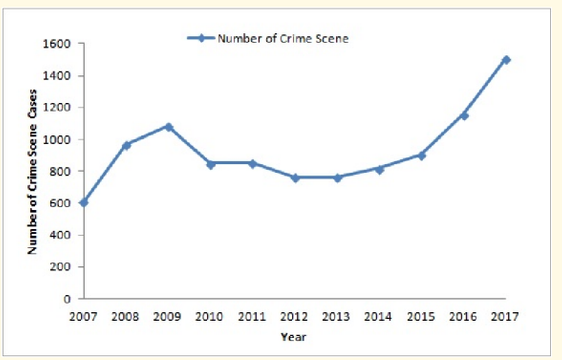


FSL Crime Scene Statistics: Number of crime scene cases during last decade

## (iv) Statement showing Received, Disposal and position of Pending cases of Regional Forensic Science Laboratory Jodhpur, Udaipur, Kota, Bikaner, Ajmer & Bharatpur :-

| S. NO. | NAME OF DIVISION | PENDING CASES ON 01-01-2017 | CASES RECEIVED in 2017 | TOTAL CASES | EXAMINED CASES | | PENDING CASES ON 31-12-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CASES | EXHIBITS | |
| | **REGIONAL FSL, JODHPUR** | | | | | | |
| 1. | Documents Division | 90 | 356 | 446 | 428 | 19365 | 18 |
| 2. | Chemistry Division | 361 | 4307 | 4668 | 4286 | 7133 | 382 |
| 3 | Serology Division | 32 | 187 | 219 | 178 | 878 | 41 |
| 4. | Toxicology Divisi on | 118 | 824 | 942 | 685 | 5308 | 257 |
| | **Total** | **601** | **5674** | **6275** | **5577** | **32684** | **698** |
| | **REGIONAL FSL, UDAIPUR** | | | | | | |
| 1. | Chemistry Division | 68 | 3576 | 3644 | 3290 | 5017 | 354 |
| 2. | Toxicology Division | 244 | 593 | 837 | 694 | 3971 | 143 |
| 3. | Serology Division | 495 | 729 | 1224 | 950 | 6076 | 274 |
| 4. | Documents Division | 0 | 129 | 129 | 127 | 9121 | 02 |
| 5. | Biology Division | 217 | 749 | 966 | 582 | 3574 | 384 |
| | **Total** | **1024** | **5776** | **6800** | **5643** | **27759** | **1157** |
| | **REGIONAL FSL, KOTA** | | | | | | |
| 1 | Biology Division | 178 | 476 | 654 | 595 | 4436 | 59 |
| 2 | Physics Division | 26 | 141 | 167 | 146 | 357 | 21 |
| 3 | Toxicology Division | 394 | 769 | 1163 | 1074 | 5563 | 89 |
| 4 | Serology Division | 584 | 778 | 1362 | 1141 | 4247 | 221 |
| | **Total** | **1182** | **2164** | **3346** | **2956** | **14603** | **390** |
| | **REGIONAL FSL, BIKANER** | | | | | | |
| 1 | Biology Division | 413 | 806 | 1219 | 872 | 6801 | 347 |
| 2 | Physics Division | 29 | 106 | 135 | 134 | 389 | 01 |
| 3 | Ballistic Division | 20 | 56 | 76 | 55 | 394 | 21 |
| 4 | Toxicolo gy Division | 440 | 587 | 1027 | 985 | 6492 | 42 |
| 5 | Serology Division | 122 | 740 | 862 | 542 | 2658 | 320 |
| | **Total** | **1024** | **2295** | **3319** | **2588** | **16734** | **731** |
| | **REGIONAL FSL, AJMER** | | | | | | |
| 1- | Chemistry Division (Liquor cases) | 36 | 2097 | 2133 | 1986 | 3079 | 147 |
| 2. | Toxicology Division | 444 | 1010 | 1454 | 976 | 5612 | 478 |
| 3. | Serology Division | 0 | 552 | 552 | 480 | 2706 | 72 |
| | **Total** | **480** | **3659** | **4139** | **3442** | **11397** | **697** |
| | **REGIONAL FSL, BHARATPUR** | | | | | | |
| 1 | Biology Division | 115 | 303 | 418 | 418 | 2750 | 0 |
| 2 | Serology Division | 0 | 392 | 392 | 375 | 2093 | 17 |
| 3 | Physics Division | 2 | 101 | 103 | 102 | 318 | 01 |
| 4 | Toxicology Divisio n | 17 | 352 | 369 | 341 | 2125 | 28 |
| | **Total** | **134** | **1148** | **1282** | **1236** | **7286** | **46** |
| | **Grand Total ( RFSL 's )** | **4445** | **20716** | **25161** | **21442** | **110463** | **3719** |

## (v ) Finger Print Bureau Case Statistics:- ( 01.01.2017 to 31.12.2017 )

| Sr. No. | Nature of Cases | Pending Cases as on 01.01.2017 | Received Cases during 2017 | Total Cases | Examined Cases | Pending Cases as on 31.12.2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Document** | 161 | 234 | 395 | 131 | 264 |
| 2. | **Chance Print** | 25 | 44 | 69 | 45 | 24 |
| 3. | **Civil** | 04 | 08 | 12 | 07 | 05 |
| 4. | **Footprint** | 04 | 12 | 16 | 02 | 14 |
| 5. | **Total** | **194** | **298** | **492** | **185** | **307** |

**Crime Scene Visits FPB :- 186**

## (vi) Search/ Record Division Details ( 01.01.2017 to 31.12.2017)

| Type of Finger Print Slips | Rec. Finger Print | Accepted Slips | Quality Rejected |
|---|---|---|---|
| **Search Slips** | 6583 | 5356 | 1227 |
| **Record Slips** | 473 | 379 | 94 |

# एफ.एस.एल. में परीक्षण किये गये कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकरण

## साईबर फोरेंसिक प्रकरण

**1. स्पूफिंग इन्टरनेट कॉल के जरिये रिश्वत प्रकरण में मोबाईल फोन से डाटा रिट्राईव:-**

ए.सी.बी., जयपुर द्वारा धारा 8,9,13(1)(डी), 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 एवं 120बी, 170, 384, 419, 507 आईपीसी व 66 (सी)(डी) आई.टी. एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त से इन्टरनेट कॉलिंग (Call Spoofing) द्वारा रिश्वत मांगने में ए.सी.बी., जयपुर के तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर का प्रयोग करने से सम्बन्धित प्रकरण में जब्त मोबाईल फोन से डाटा एवं अन्य इन्टरनेट एविडेन्स आईटमों को रिट्राईव कर अनुसंधान मे महत्त्वपूर्ण दिशा प्रदान कि गयी।

**2. फर्जी हथियार लाईसेंस प्रकरण में अर्न्तराजीय गिरोह से जब्त मोबाईल फोनों से डाटा रिट्राईव:-**

एस.ओ.जी., राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 27/2017 धारा 420, 467, 468, 471, 474, 120बी आई.पी.सी व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत हथियारों के फर्जी लाईसेंस बनाकर हथियार खरीदे/बेचे जानें के प्रकरण में अर्न्तराजीय गिरोह के संदिग्धों से जब्त मोबाईल फोनों से प्रकरण से सम्बन्धित दस्तावेज रिट्राईव कर रिपोर्ट उपलब्ध करवायी गयी जिससे अनुसंधान मे महत्त्वपूर्ण दिशा दी गयी।

**3. जासूसी प्रकरण में जब्त मोबाईल फोनों से सामरिक महत्व से सम्बन्धित डाटा रिट्राईव:-**

सी.आई.डी. से प्राप्त प्रकरण 01/2017 एवं 02/2017, धारा 3, 3/9 शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 व 120बी आईपीसी के अन्तर्गत पाकिस्तान बोर्डर के निकट जैसलमेर एरिया से गिरफ्तार संदिग्धों से जब्त मोबाईल फोनों से सामरिक महत्व की सूचनाओं को पाकिस्तान स्थित गुप्तचर ऐजेंसियों को भेजने से सम्बन्धित प्रकरण में जब्त मोबाईल फोनों से सामरिक महत्व के फोटो एवं अन्य डाटाओं के एविडेन्स खोजकर रिपोर्ट उपलब्ध करवायी गयी जिससे अनुसंधान मे महत्त्वपूर्ण दिशा दी गयी।

**4. राष्ट्रीय स्तर की मेडीकल परीक्षा नीट पेपर लीक प्रकरण में अर्न्तराजीय गिरोह का खुलासा:-**

एस.ओ.जी., राजस्थान,जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 18/2017 धारा-420, 468, 471, 120बी आई.पी.सी के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर की मेडीकल परीक्षा NEET-UG-2017 के पेपर लीक करने वाले अर्न्तराजीय गिरोह के संदिग्धों से जब्त मोबाईल फोनों, लैपटोप, पेनड्राईव एवं हार्डडिस्क में से पेपर लीक से सम्बन्धित महत्वपूर्ण दस्तावेज, वॉट्सऐप मेसैज एवं कोनटेक्ट लिस्ट निकालकर पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया गया एवं प्रकरण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य जुटाकर रिपोर्ट उपलब्ध करवायी गयी जिससे अनुसंधान मे महत्त्वपूर्ण दिशा दी गयी।

**5. हाईप्रोफाईल हनीट्रेप प्रकरणों में मोबाईल से प्रकरण से सम्बन्धित मेसैज को रिट्राईव:-**

(i) एस.ओ.जी., राजस्थान,जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 11/2016 धारा-192, 193, 211, 384, 388, 389, 420, 406, 34 आई.पी.सी के अन्तर्गत अभियुक्त से जब्त मोबाईल द्वारा हाईप्रोफाईल ब्लैकमेलिंग गैंग में शामिल महिला से फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन के जरिये परिवादी डाक्टर से पैसों के लेनदेन एवं अन्य संदिग्ध सूचनाओं के आदान प्रदान से सम्बन्धित प्रकरण से सम्बन्धित मैसेजों को रिट्राईव कर अनुसंधान को सही दिशा प्रदान की गई।

(ii) थाना-अशोक नगर, जयपुर (दक्षिण) द्वारा प्रकरण संख्या 139/2016 धारा-384, 420, 120बी आईपीसी के अन्तर्गत आरोपी महिला से जब्त मोबाईल फोनों, मेमोरी कार्ड एवं टेपरिकोर्डर से गलत तरीके से हाईप्रोफाईल लोगों को ब्लैकमेल करके कई लोगों से रूपये एठने से सम्बन्धित वार्तालाप की रिकोर्डिंग एवं एस.एम.एस. व वॉट्सएप मैसेज को रिट्राईव कर प्रकरण से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण तथ्य संग्रहित किये गये जिससे अनुसंधान को महत्त्वपूर्ण दिशा प्रदान कि गयी।

**6. महिलाओं के साथ अशिष्ट निरूपेण एवं पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरणों में डाटा रिकवरी:-**

(i) स्कूल टीचर द्वारा छात्रों की अश्लील विडीयो बनाने सम्बन्धित हाईप्रोफाईल प्रकरण में सम्बन्धित विडीयो की रिकवरी:-

थाना-रामगंज, जयपुर (उतर) द्वारा प्रकरण संख्या 94/2017 धारा-4, 5(ठ), 5(ड), 11 (iii), 12, 16/17, 21(2) पोक्सो एक्ट 2012 एवं 66बी आई.टी. एक्ट के अन्तर्गत स्कूल से जब्त कम्प्यूटर की हार्डडिस्क एवं आरोपी से जब्त मोबाईल फोन से स्कूल के बच्चों के साथ अश्लील विडियो रिकवर कर अनुसंधान को महत्त्वपूर्ण दिशा प्रदान की गई।

(ii) वॉट्सऐप पर महिला की अश्लील फोटो पोस्ट कर मानहानि सम्बन्धित प्रकरण में सम्बन्धित फोटो एवं साक्ष्य की रिकवरी:-

थाना-छाबरा, जिला- बारां द्वारा प्रकरण संख्या

87/2017 धारा- 354सी, 354डी, 292, 376(2)(एन) आईपीसी व 67, 67क आई.टी. एक्ट व 4/6 महिलाओं का अशिष्ट रूपेण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत आरोपी व्यक्तियों से जब्त मोबाईल फोनों से परिवादी महिला की अश्लील फोटो को अरोपी व्यक्तियों द्वारा वॉट्सऐप ग्रुप में पोस्ट करने के एवीडेन्स खोजकर अनुसंधान को दिशा प्रदान की गई।

(iii) महिला का अश्लील विडियो बनाकर ब्लैकमेल प्रकरण में सम्बन्धित साक्ष्य की रिकवरी:-

थाना-अकलेरा, जिला-झालावाड़ द्वारा प्रकरण संख्या 78/2017 धारा-376 आईपीसी, 2(2)(5) एसी/एसटी एक्ट व 66ए आई.टी. एक्ट के अन्तर्गत मुलजिम से जब्त मेमोरी कार्ड मे परीवादी महिला का अश्लील विडियो बनाकर ब्लैकमेल करने सम्बन्धित प्रकरण में सम्बन्धित साक्ष्य की रिकवरी कर अनुसंधान को महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की गई।

7. समाज में धार्मिक भावनाओं को भड़काने से सम्बन्धित प्रकरण में संदिग्ध मेसेज की रिकवरी:-

थाना-सेड़वा, जिला- बाड़मेर द्वारा प्रकरण संख्या 47/2016 धारा- 153ए, 295ए आईपीसी के अन्तर्गत आरोपी व्यक्ति से जब्त मोबाईल फोन से मुस्लिम समाज में धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले मेसेज को वॉट्सऐप से रिकवर कर अनुसंधान को दिशा प्रदान की गई।

8. आई.टी.आई संस्थान द्वारा फर्जी एफीलिऐशन प्रदर्शित कर छात्रों को प्रवेश दिये जाने से सम्बन्धित प्रकरण:-

माननीय उच्च न्यायालय निर्देश पर प्रकरण संख्या एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नं.937/17 तथा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 986/17 में थाना- साईबर क्राईम जयपुर द्वारा प्रेषित प्रकरण में आई.टी.आई संस्थान द्वारा क्वालिटी कांउसिल ऑफ इंडिया (क्यू.सी.आई.) एन.सी.वी.टी. की फर्जी एफीलिऐशन प्रदर्शित कर छात्रों के साथ धोखाधड़ी से सम्बन्धित प्रकरण में संस्थान से जब्त कम्प्यूटर में इन्टरनेट पर वेबसाईट से एक्सेस एवं दस्तावेज डाउनलोडिंग से सम्बन्धित रिट्राईव कर अनुसंधान को सही दिशा प्रदान की गई।

## जैविक एवं डी.एन.ए. प्रकरण

1. शव के डीएनए रिपोर्ट से मृतक के परिवार की पहचान:-

पुलिस थाना जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण अंतर्गत एफआईआर नं. 27/17 धारा 302,201 आईपीसी प्रकरण में पहाड़ी पर एक व्यक्ति का सिर काट कर शव को जलाने के प्रकरण में शव की पहचान एक व्यक्ति के रूप में हुई। पोस्टमार्टम के दौरान एक अन्य परिवार द्वारा इस शव का सम्बन्ध उनसे होने का दावा किया गया। दोनों पक्ष के आमने सामने आ जाने से सामाजिक तनाव की स्थिति पैदा हो गयी थी। एफएसएल द्वारा मात्र 24 घण्टों में शव की डीएनए जांच कर सही व्यक्ति की पहचान से सम्बन्धित अकाट्य साक्ष्य जुटाये गये जिससे रोष की स्थिति शांत हुई तथा अनुसंधान को सही दिशा प्रदान की गई।

2. बच्ची 18 वर्ष की हुई तब मिली माँ, डीएनए परीक्षण से हुई दुष्कर्मी पिता की पहचान:-

पुलिस थाना जवाहर नगर, जिला जयपुर पूर्व अंतर्गत एफआईआर नं. 223/94 दिनांक 06.08.1994 प्रकरण में दुष्कर्म से जन्मी बच्ची का आरोपित व्यक्ति के डीएनए रिपोर्ट से यह तय हो गया कि आरोपित व्यक्ति ही वास्तव में दुष्कर्मी एवं बच्ची का जैविक पिता था।

3. डीएनए परीक्षण से शिक्षक द्वारा छात्र से दुष्कर्म की पुष्टि:-

पुलिस थाना विराट नगर, जिला जयपुर ग्रामीण अंतर्गत एफआईआर नं. 279/16 दिनांक 13.10.2016, धारा 377 आईपीसी एवं 6 पोक्सो एक्ट प्रकरण में एक स्कूल के हॉस्टल में कक्षा 4 के छात्र के साथ शिक्षक द्वारा कुकर्म की घटना दर्ज हुई थी। डीएनए परीक्षण से स्पष्ट हो गया कि छात्र के वस्त्रों पर मिले सीमन के नमूने से प्राप्त डीएनए, शिक्षक के डीएनए से मिलान खाता है। डीएनए साक्ष्य के रूप में अभियुक्ति के विरूद्ध एक ठोस सबूत प्राप्त किया जा सका।

4. दलित बहनों से तीन युवकों द्वारा किये गये सामूहिक दुष्कर्म की डी.एन.ए. से पहचान:-

पुलिस थाना नीमकाथाना, जिला सीकर अंतर्गत एफआईआर नं. 107/17 दिनांक 06.04.2017, धारा 306 आईपीसी प्रकरण में दो नाबालिग बहनों ने ट्रेन के सामने कूद कर आत्महत्या कर ली थी। इस संबंध में मृतका के भाई ने दुष्कर्म का भी आरोप लगाया था। एफएसएल की डीएनए जाँच में सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हुई। डीएनए की रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म की धाराएं जोड़ी।

5. नशे में धुत पिता द्वारा मासूम से दुष्कर्म का डी.एन.ए. द्वारा खुलासा:-

पुलिस थाना श्याम नगर, जिला जयपुर शहर (दक्षिण) अंतर्गत एफआईआर नं. 199/2017 दिनांक 08.05.2017, धारा 363, 375, 511 आईपीसी एवं 4 पोक्सो एक्ट प्रकरण में 08 मई 2017 की रात 01 बजे बच्ची को खाली प्लॉट में ले जाकर दुष्कर्म के मामले में पिता सहित दो आरोपियों की डी.एन.ए. जांच की गई। बच्ची की टी-शर्ट पर वीर्य के धब्बों से प्राप्त डी.एन.ए. का मिलान बच्ची के पिता से हुआ। डी.एन.ए. रिपोर्ट के आधार पर आरोपित पिता को गिरफ्तार किया गया।

## अस्त्रक्षेप प्रकरण

### 1. हिस्ट्रीशीटर एनकाउंटर प्रकरण में महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करना:-

पुलिस थाना सदर जैसलमेर, जिला- जैसलमेर के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 62, दिनांक 26.6.16, धारा 353, 332, 365, 307 IPC में एक स्थानीय हिस्ट्रीशीटर की पुलिस फायरिंग में मृत्यु हो गई थी। इस बहुचर्चित प्रकरण में घटना में प्रयुक्त जीप, हथियार, कारतुस खोखा एवम बुलेट की इस अनुभाग में हुई जांच से यह स्पष्ट हुआ कि वाहन पर फायरिंग दूर से हुई थी ना कि पास से एवं किस दिशा से गोली चलायी गयी थी यह भी बताया गया। इस प्रकार अनुसंधान को एक महत्त्वपूर्ण दिशा दी गई।

### 2. गैंगस्टर मर्डर प्रकरण:-

पुलिस थाना कोतवाली, जिला अजमेर के अंतर्गत प्रकरण संख्या 230, दिनांक 11.11.16, धारा 147, 148, 149, 307, 302, 323, 120B IPC में अजमेर के गैंगस्टर/ हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। इस मामले में गिरफ्तार मुलजिमों से प्राप्त हथियार एवं घटनास्थल पर मिले कारतूस खोखों, एवं बुलेट तथा वाहन की अस्त्रक्षेप जाँच करने पर उपरोक्त मर्डर अभियुक्तो से जब्त हथियारों द्वारा ही किया जाना पाया गया, जिससे प्रकरण के मुलजिमों द्वारा प्रयुक्त हथियार की पुष्टि की।

### 3. दिन दहाड़े हुआ मर्डर प्रकरण:-

पुलिस थाना अलवर गेट, जिला अजमेर के अंतर्गत प्रकरण संख्या 49, दिनांक 31.01.17, धारा 302,307,34, 120ठ प्त्ब व 3(2)(ट) SC/ST Act, 3/25 आर्म्स एक्ट में जिला अजमेर में चल रही गैंगवार में गैंगस्टर/हिस्ट्रीशीटर का दिनदहाड़े भरे बाजार में गोली मारकर मर्डर कर दिया गया, इस मामले में घटना-स्थल पर मिले कारतूस खोखे, बुलेट, वाहन की अस्त्रक्षेप जाँच करने पर उपरोक्त मर्डर अभियुक्तों द्वारा जब्त हथियारों द्वारा ही किया जाना पाया गया साथ ही वाहन की जाँच कर फायरिंग दिशा एवं दूरी के बारे में बताया गया जिससे प्रकरण के अनुसंधान को एक महत्त्वपूर्ण दिशा दी गई।

### 4. युवती हत्याकांड प्रकरण:-

पुलिस थाना कोतवाली, जिला दौसा के अंतर्गत मर्ग संख्या 39, दिनांक 29.11.16, U/S 174 CrPC प्रकरण में एक युवती की मृत्यु बाथरूम में गिरने से होना बताई गयी। घटनास्थल से मिले कारतूस खोखा एवं हथियार के अस्त्रक्षेप परीक्षण के द्वारा इसे अभियुक्त द्वारा हत्या साबित कर अपराधी की पहचान की।

### 5. जुगाड़/ डिवाइस के प्रयोग में मृत्यु प्रकरण:-

पुलिस थाना लूणी, जिला जोधपुर के अंतर्गत मु.स. 197/16 दिनांक 26.12.16, धारा 302 IPC में दर्ज प्रकरण में एक व्यक्ति अपने खेत में मृत पाया गया तथा मृतक के पास में पड़े दो लोहे के पाईप से निर्मित जुगाड़/डिवाइस मिले। पुलिस द्वारा भेजे गये प्रादर्शो, जुगाड़ मृतक के कपड़े तथा मृतक के शरीर से प्राप्त छर्रो का अस्त्रक्षेप अनुभाग से परीक्षण होने पर ज्ञात हुआ कि उपरोक्त प्रकरण में किसी अन्य हथियारों की जगह लोहे के पाइप से बने डिवाइस/जुगाड़ को ही हथियार मजल लोडिंग की तरह उपयोग में लिया गया है एवं फायर काफी नजदीक से हुआ है। उपरोक्त रिपोर्ट से अनुसंधान को एक महत्त्वपूर्ण दिशा दी गई।

## प्रलेख प्रकरण

### 1. हस्ताक्षर परीक्षण से हुआ 160 करोड़ रूपये के विदेशी कम्पनी से किए फर्जीवाडे का खुलासा:-

पुलिस थाना बोरानाड़ा, पुलिस उपायुक्त, जोधपुर पश्चिम के माध्यम से मुकदमा संख्या 13/2015, 14/2015 व 15/2015 दिनांक 05.02.2015 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भा.द.स. के 160 करोड़ रूपये के ग्वार गम सप्लाई के लेन-देन के दस्तावेज परीक्षण हेतु प्राप्त हुए थे। प्रकरण के विवादित दस्तावेज के रूप में अमेरिकन कम्पनी के वरिष्ठ अधिकारी हस्ताक्षरित दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त हुई थी। इस प्रकरण में प्रलेख अनुभाग द्वारा सीमित दस्तावेजों (फोटोकॉपी) के आधार पर परीक्षण कर फर्जी हस्ताक्षर की पुष्टि कर अनुसंधान में सहयोग प्रदान किया।

### 2. दस्तावेज जाँच से सामने आया 66 लाख रूपये के फर्जी भुगतान का सच:-

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर के अपराध संख्या 402/14 अंतर्गत प्रकरण में विवादित दस्तावेजों का प्रलेख अनुभाग द्वारा परीक्षण कर यह प्रमाणित किया गया कि विवादित दस्तावेजों पर सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता के हस्ताक्षर फर्जी है तथा अभियन्ता की मैजरमेन्ट बुक (माप पुस्तिका) में सड़क व फुटपाथ सम्बन्धी प्रविष्टियां ठेका लेने वाली फर्म के ठेकेदार द्वारा लिखित है। इस प्रकार एफ. एस.एल. रिपोर्ट के आधार पर 66 लाख रूपये के फर्जी भुगतान के आरोपियों की पुष्टि हुई।

### 3. चिकित्सक द्वारा भाई के फर्जी हस्ताक्षर कर प्रोपर्टी बेचान का खुलासा

मुकदमा संख्या 13 दिनांक 10.01.2017, धारा 403, 406, 419, 420, 467, 468, 471,120बी पुलिस थाना चौ.हा.बोर्ड के विवादित दस्तावेज पुलिस उपायुक्त, जोधपुर पश्चिम के माध्यम

से परीक्षण हेतु प्राप्त हुए थे। विवादित दस्तावेज एक इकरारनामा बेचान था। प्रकरण जोधपुर शहर के नामी चिकित्सक व नर्सिंग होम संचालक व उनकी छोटे भाई के बीच पारिवारिक सम्पति के फर्जी तरीके से बेचान करने के सम्बन्ध में था। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर की परीक्षण रिपोर्ट से प्रमाणित हुआ कि नामी चिकित्सक ने विवादित इकरारनामे बेचान पर अपने छोटे भाई के फर्जी हस्ताक्षर कर प्रोपर्टी का अवैध तरीके से बेचान कर दिया था। एफ.एस.एल. रिपोर्ट में फर्जीवाड़े की पुष्टि के बाद धोखाधड़ी के आरोपी चिकित्सक व उसके पुत्र को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

### 4. जोधपुर नगर निगम से जारी पत्रों पर फर्जी हस्ताक्षरों की पुष्टि

मुकदमा सं. 123/16 व 124/16 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी भा.द.स. पुलिस थाना शास्त्रीनगर जोधपुर के प्रकरण जो कि जोधपुर नगर निगम से बड़े स्तर पर अवैध तरीके से जारी हुए फर्जी पत्रों से सम्बन्धित था, के विवादित दस्तावेजों पर मौजूद विवादित हस्ताक्षर जो कि तत्कालीन महापौर, अधिशाषी अभियन्ता व अन्य अधिकारियों के थे तथा पत्रों के एवज में जारी रसीद इत्यादि दस्तावेजों पर मौजूद लिखावट के परीक्षण से यह प्रमाणित किया गया कि जोधपुर नगर निगम से जारी विवादित पत्रों पर महापौर, अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता आदि के हस्ताक्षर फर्जी है तथा फर्जी हस्ताक्षर व रसीदों की लिखावट जोधपुर नगर निगम में संविदा पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा लिखी गई है। इस प्रकार एफ.एस.एल. परीक्षण से संविदा पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा महापौर व अन्य अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर कर बड़े स्तर पर जोधपुर नगर निगम के फर्जी भूखाण्ड पत्रों जारी कर दिये गये थे।

5. मर्ग सख्या 49/17 दिनांक 24.11.17 धारा 174 सी.आर.पी. सी. थाना ब्रहम्पुरी जिला जयपुर (उत्तर) में एक सनसनीखेज मामले में नाहरगढ़ किले की बुर्ज पर कुछ लिखावट एवं एक शव लटका पाया गया तथा पत्थरों पर भी लिखावट पायी गई। यह एक अपरम्परागत सतह पर लिखी गई लिखावट थी। इस अप्राकृतिक सतह पर लिखी गई लिखावट का मिलान संदिग्ध व्यक्तियों से किया गया। प्रयोगशाला द्वारा लिखावट का मिलान कर सम्बन्धित पुलिस अनुसंधान अधिकारी को अनुसंधान में सहायता हेतु परीक्षण रिपोर्ट दी गई।

6. मुकदमा नम्बर 515/15 थाना गांधी नगर, जयपुर (पूर्व) के प्रकरण में राज. विश्वविद्यालय जयपुर में सहा. प्रोफेसर के साक्षात्कार में दिये गये अंक तालिका में अंकों की बनावट स्याही एवं अंकों में फेर बदल बाबत् राय चाही गई थी। इस बाबत् प्रयोगशाला द्वारा स्याही, अंको की बनावट एवं फेरबदल बाबत् विशेषज्ञ राय दी गई।

7. मुकदमा नम्बर 140/16 थाना बनीपार्क में जयपुर (पश्चिम) में जमीन जायदाद से संबधित विक्रय पत्र दिनांक 24.11.1972 का हस्ताक्षरित का परीक्षण चाहा गया था । प्रकरण में नमूना हस्ताक्षर (असल एवं संदेही व्यक्तियों के ) नहीं भेजे गयें, ऐसी सूरत में संदेही एवं असल व्यक्ति के पुराने समय के विवाद रहित हस्ताक्षर से परीक्षण कर प्रयोगशाला द्वारा महत्त्वपूर्ण जायदाद के संबंध में राय दी गई।

## विष प्रकरण

### 1. विसरा रिपोर्ट से सामने आया हत्या का सच:-

पुलिस थाना करड़ा, जिला जालोर के माध्यम से प्रकरण संख्या 78 दिनांक 21.07.2017 धारा 302,201,323,304/34 भा.द.स. में 13 वर्षीय किशोर की सन्देहास्पद मृत्यु के पश्चात शिकायत होने पर पाँच माह पश्चात् गाड़ा गया शव दुबारा निकलवाकर व शव के आस-पास एवं नीचे की मिट्टी में संभावित विष की उपस्थिति का परीक्षण प्रयोगशाला में किया गया। परीक्षणों से शव के नीचे की मिट्टी के नमूनों में कीटनाशक जहर होने की पुष्टि कर अनुसंधान व प्रकरण को नई दिशा दी गई।

### 2. दुर्घटना नहीं हत्या, विसरा रिपोर्ट ने किया खुलासा:-

पुलिस थाना बिलाड़ा, जिला जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत मुकदमा संख्या 371/17 धारा 279,337,304,302,201 आई.पी. सी. प्रकरण में आरोपित द्वारा भावी (बिलाड़ा) के पास दो कारों की दुर्घटना होने से स्वयं की पत्नी व तीन बच्चियों की मृत्यु होना बताया गया। उपरोक्त चारों मृतकाओं के विसरा का परीक्षण कर उसमें नशीली गोली की उपस्थिति बताकर अनुसंधान में नई दिशा प्रदान की।

### 3. फैक्ट्री में जहरीली गैस की पुष्टि:-

पुलिस थाना बासनी, जिला जोधपुर शहर (पश्चिम) के अंतर्गत मुकदमा संख्या 150 धारा 336,337,304ए आई.पी.सी. प्रकरण में फैक्ट्री में तीन मजदूरों की एक टैंक को साफ करने के दौरान जहरीली गैस से मृत्यु हो गई। उक्त प्रकरण के विसरा परीक्षण में साइनाईड गैस की उपस्थिति की पुष्टि की। अत: एफ. एस.एल. रिपोर्ट से फैक्ट्री द्वारा साइनाईड के साल्ट इस्तेमाल करने की पुष्टि हुई, जिसके खातरनाक होने व इससे सम्बन्धित सुरक्षा मानकों की पालना नहीं करने के कारण, फैक्ट्री द्वारा इस्तेमाल नहीं करना बताया गया था। इस प्रकार अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

## सीरम प्रकरण

**1. कथित गोमांस की जगह मुर्गे के मांस की पुष्टि की:-**

पुलिस थाना- सिंधी कैम्प, जिला-जयपुर शहर (पश्चिम) के अंतर्गत प्रकरण संख्या- 45/17 में जयपुर शहर के प्रतिष्ठित होटल हयात् रब्बानी में धर्म विशेष के लोगों ने यह आरोप लगाया कि होटल में ग्राहकों को गाय का मांस परोसा जाता है, लेकिन प्रयोगशाला में परीक्षण कर यह सिद्ध किया गया कि परोसा गया मांस गौवंश का नहीं अपितु मुर्गे का है। इस परिणाम के कारण साम्प्रदायिक तनाव का माहौल भी शांत हुआ।

**2. वृद्ध दंपति की नृशंस हत्या में रक्त परीक्षणों से अनुसंधान में सहयोग:-**

पुलिस थाना-नारायणपुर, जिला-अलवर के अंतर्गत प्रकरण संख्या- 28/17 में वृद्ध दंपति की नृशंस हत्या का मामले में अनेक संदिग्धों के पार्चेजातों पर रक्त परीक्षण संबंधी परीक्षण किये गये जिससे पुलिस को महत्त्वपूर्ण सुराग हाथ लगा।

**3. एक ही परिवार के पाँच सदस्यों की हत्या में साक्ष्यों पर रक्त की उपस्थिति से अनुसंधान में सहयोग:-**

पुलिस थाना-शिवाजी पार्क, जिला-अलवर के अंतर्गत प्रकरण संख्या- 244/17 में एक ही परिवार के पाँच सदस्यों की हत्या प्रकरण में बड़ी संख्या में साक्ष्यों पर रक्त की उपस्थिति एवं मिलान से पुलिस को इस केस से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध करवाई गई।

## भौतिक प्रकरण

**1. आवाज का परीक्षण:-** ए.सी.बी., जयपुर के अन्तर्गत मुकदमा सं. 215/17 धारा 8,9,13 (1) (डी), 13(2) पी. सी. एक्ट 1988 एवं 120 बी, 170, 384, 419, 507 आई.पी.सी. व 66 (सी)(डी) आई.टी. एक्ट प्रकरण में अभियुक्त द्वारा इन्टरनेट कॉलिंग (Call Spoofing) से ए.सी.बी., जयपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर का प्रयोग कर रिश्वत मांगने से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त की आवाज का परीक्षण कर अनुसंधान मे महत्त्वपूर्ण दिशा प्रदान की गयी।

**2. केरोसिन स्टोव का परीक्षण:-** पुलिस थाना-कोतवाली अलवर, जिला-अलवर के अन्तर्गत मुकदमा सं. 1403/16 धारा 302, 201 आई.पी.सी. प्रकरण में महिला के शरीर के आशिंक जले हुये भाग (Body-Parts) पाये गये। इस घटना से सम्बन्धित जप्त प्रादर्श केरोसीन स्टोव का अनुभाग में परीक्षण कर अनुसंधान मे महत्त्वपूर्ण दिशा प्रदान की गयी।

**3. फैक्ट्री में बॉयलर फटने की जाँच:-** पुलिस थाना-गोविन्दगढ़, जिला-जयपुर ग्रामीण के अन्तर्गत मुकदमा सं. 97/17 धारा 304 आई.पी.सी. प्रकरण में धोबलाई रोड़ तन स्याऊ स्थित शिवशक्ति फैक्ट्री में पुराने रबड़ के टायरों को जला कर ऑयल निकालने में प्रयुक्त बॉयलर फटने की घटना में छ: व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी से सम्बन्धित घटनास्थल का निरीक्षण व बॉयलर पर लगे तापमापक व दाबमापक का परीक्षण कर बॉयलर फटने के कारणों को ज्ञात कर अनुसंधान मे महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान किया गया।

**4. फंदे से लटकने का बहुचर्चित नाहरगढ़ प्रकरण:-** पुलिस थाना-ब्रह्मपुरी, जिला-जयपुर (उत्तर) के अन्तर्गत मर्ग सं. 49/17 धारा 174 सी.आर.पी.सी. के अति संवेदनशील प्रकरण में नाहरगढ़ किले की बुर्ज पर बाहर की ओर प्लास्टिक की रस्सी से गले में फंदा युक्त बहुचर्चित घटना से सम्बन्धित घटनास्थल का निरीक्षण व जप्त प्लास्टिक की रस्सी, मृतक के जूते, कालिख/कोयले आदि प्रादर्शो का परीक्षण कर अनुसंधान मे महत्त्वपूर्ण दिशा प्रदान की गयी।

**5. पेट्रोल पंप पर हेराफेरी प्रकरण:-** उप नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, राजस्थान, जयपुर द्वारा डीजल पम्प/ पेट्रोल पम्पों के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान डीजल पम्प/ पेट्रोल पम्पों की सीलें तोड़कर हेराफेरी करने के मामलों में जप्त की गयी धात्विक सीलों का अनुभाग में परीक्षण कर प्रकरण का खुलासा किया।

# घटनास्थल निरीक्षण : कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकरण

**1. एफ. एस. एल. टीम द्वारा प्रथम दृष्टया घटनास्थल पर दिए गए साक्ष्यों के आधार पर हत्या में दर्ज पर सजा -**

पुलिस थाना- सेवर, जिला- भरतपुर के अंतर्गत प्रकरण संख्या - 27/2017 दिनांक - 14.01.2017, धारा - 302, 201 आई.पी.सी. में घटनास्थल नेशनल हाई-वे पर मृतक की लाश का निरीक्षण कार्य कर व घटनास्थल पर साक्ष्यों के आधार पर एफ.एस.एल टीम द्वारा घटनास्थल अन्यत्र होकर घटनास्थल पर लाश को फेंकने की सम्भावना बतायी गयी।

**2.संदिग्ध एसिड अटैक की घटना :-**

पुलिस थाना-कोटड़ी, जिला- भीलवाड़ा के अंतर्गत प्रकरण संख्या 89/2017 धारा 326 क, 307 भा.द.स. में दिनांक 21 अप्रेल 2017 को एक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर एक मोटरसाईकिल सवार अज्ञात नकाबपोश द्वारा तेजाब फेंककर गंभीर रूप से झुलसा देने की संदिग्ध एवं सनसनीखेज घटना से सम्बन्धित घटनास्थल का मोबाइल फोरेंसिक यूनिट भीलवाड़ा द्वारा त्वरित व गहन निरीक्षण प्रकरण में एसिड के

उपयोग की संभावना से इंकार कर ज्वलनशील पदार्थ द्वारा घटना कारित होने की संभावना व्यक्त की गई, जिसकी पुष्टि रसायन खण्ड, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर की परीक्षण रिपोर्ट में हुई।

### 3. हत्या की घटना :-

पुलिस थाना- सदर, जिला- भीलवाड़ा के अंतर्गत प्रकरण संख्या 196/2017 धारा 302, 201 आई.पी.सी. के क्रम में एक युवक की हत्या से सम्बन्धित घटनास्थल का निरीक्षण मोबाईल फोरेंसिक यूनिट भीलवाड़ा ने किया। इस घटनास्थल पर परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर फोरेंसिक यूनिट द्वारा घटना किसी अन्य स्थान पर घटित होने की संभावना व्यक्त की गई। घटना के चार दिन बाद अनुसंधान अधिकारी द्वारा जब्त घटना में प्रयुक्त संदिग्ध मोटरसाइकिल को जब्त किया तथा फोरेंसिक टीम ने परीक्षण कर मोटरसाइकिल के साइलेंसर कवर पर लगे संदिग्ध धब्बों का रासायनिक परीक्षण कर रक्त होना बताया। जिससे प्रकरण को खुलासे में सहायता मिली।

### 4. एफ.एस.एल रिपोर्ट के द्वारा हत्या की जगह आत्महत्या की पुष्टि:-

पुलिस थाना- तुंगा, जिला- जयपुर शहर (पूर्व) के अंतर्गत एफ.आई.आर. नं0- 169/17, दिनांक- 05.09.17, धारा- 498।, 304 ठ आई.पी.सी. महिला की मृत्यु के प्रकरण में जिला फोरेन्सिक मोबाईल यूनिट जयपुर शहर द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जिसमें मृतका के गले में लिगेचर मार्क्स पाये गये तथा मृतका की पीठ के नीचे कमर के हिस्से के ऊपर रक्त का बहाव पाया गया, जो रगड की वजह से प्रतीत हुआ। कमरे में गुलाबी/नीले रंग की ओढनी में खिंचाव के निशान पाये गये। मकान के पीछे बबूल के पेड की डाली में गुलाबी नीले रंग के थ्रेड के टुकड़े चिपके पाये गये तथा पेड़ की कुछ छाल ताजा हटी पायी गयी। इस प्रकार निरीक्षण रिपोर्ट से अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण दिशा प्रदान की गई।

### 5. साक्ष्यों के आधार पर भाई द्वारा ही मृतका की हत्या की पुष्टि:-

पुलिस थाना- मुहाना, जिला-जयपुर शहर (दक्षिण) के अंतर्गत एफ.आई.आर. नं0- 104/17, दिनांक- 22.02.17, धारा- 302 आई.पी.सी. में एक महिला की हत्या प्रकरण में जिला फोरेन्सिक मोबाईल यूनिट जयपुर शहर द्वारा घटनास्थल पर फैले रक्त का निरीक्षण किया गया, जिसमें मानव रक्त की उपस्थिति पायी गयी किन्तु फैले रक्त में निरन्तरता नहीं पायी गयी। टीनशेड युक्त ईटों के मकान में पलंग पर युवती मृत अवस्था में पायी गयी, युवती के गले में धारदार हथियार से काटे जाने के चोटों के निशान पाये गये। दीवार, आसपास की वस्तुओं, मुख्य दरवाजे के अन्दर मानव रक्त के छींटें पाये गये। इस प्रकार घटनास्थल निरीक्षण से कमरे में ही हत्या करने में नजदीकी सम्बन्धी द्वारा शामिल होने से सम्बन्धी साक्ष्य उपलब्ध कराया गया।

### 6. फैक्ट्री कर्मचारी द्वारा युवती को जलाने की पुष्टि:-

पुलिस थाना- मुहाना, जिला-जयपुर शहर (दक्षिण) के अंतर्गत एफ.आई.आर. नं0- 213/17, दिनांक- 04.04.17, धारा- 302,201 आई.पी.सी. में एक युवती अधजली अवस्था में मृत पाये जाने के प्रकरण में जिला फोरेन्सिक मोबाईल यूनिट जयपुर शहर द्वारा कमरे के फर्श पर रक्तशुदा पड़ी मृत युवती का निरीक्षण किया गया, जिसके गले में जला हुआ स्कार्फ गांठ द्वारा बंधा पाया गया। फर्श पर रक्तशुदा पत्थर की स्लैब का टुकडा, माचिस मय जली तिल्लियां एवं एक प्लास्टिक की शीशी जिसके अन्दर कैरोसिन नुमा ज्वलनशील पदार्थ पाया गया।

टीम द्वारा फैक्ट्री में कार्यरत लगभग 15 कर्मचारियों में से एक युवक संदिग्ध पाया गया। घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकला की युवक द्वारा ही महिला की हत्या कर जलाने का प्रयास किया गया है।

## 7. नाहरगढ़ किले की बुर्ज पर फंदे से लटके मृत युवक का बहुचर्चित कांड : हत्या या आत्महत्या का खुलासा:-

पुलिस थाना- ब्रहमपुरी, जिला-जयपुर शहर (उत्तर) के अंतर्गत मर्ग नं0- 49/17, दिनांक- 24.11.17, धारा- 174 सी.आर.पी.सी. प्रकरण में नाहरगढ किले पर रस्सी से फंदा लगाकर एक व्यक्ति लटका पाया जाने के प्रकरण में एफ.एस.एल वैज्ञानिकों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मृतक के गले में लिगेचर मार्क्स पाये गये, गले में सरकने वाला फंदा एवं रस्सी पर ताजा रगड के निशान पाये गये। मृतक के चेहरे के दायीं ओर रगड के निशान में चूने के कण चिपके पाये गये, गले में लिगेचर मार्क्स पाये गये। मृतक के बायें अंगूठे, अंगुली, दायें हाथ के अंगुठे, अंगुलियों एवं हथेली पर कोयले जैसे निशान पाये गये। मृतक के बायें पैर के जुराब एवं अंगुली, अंगूठे पर ताजा रगड के निशान पाये गये। बुर्ज के अन्दर चबूतरों, दीवारों एवं फर्श पर लिखावटें पायी गयी। उपरोक्त साक्ष्यों से हत्या/आत्महत्या होने का असमंजस्य दूर किया गया।

## 8. मृत महिला प्रकरण का खुलासा:-

पुलिस थाना- चंदबाजी, जिला-जयपुर (ग्रामीण) के अंतर्गत एफ.आई.आर. नं0- 365/17, दिनांक- 05.10.17, धारा- 302,201 आई.पी.सी. प्रकरण में महिला द्वारा कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या की गयी थी। मृतका का शव पोस्टमोर्टम उपरान्त निम्स अस्पताल की मोचरी में रखा गया था। जिला फोरेन्सिक मोबाईल यूनिट जयपुर (ग्रामीण) द्वारा घटनास्थल हरचन्दपुरा कराला स्थित मकान के सीमेन्टेड कमरे में पाया गया। दरवाजे की पत्थर पर चौखट एवं कुन्दीपत्ती पर बलपूर्वक खोलने के ताजा रगड/स्क्रेच के निशाने पाये गये। कमरे की छत पर लोहे का एक गाडर लगा पाया गया, गाडर से धूल व जाले हटे पाये गये, बैड पर रखी तकिये की खोली पर धागे/रेशे पाये गये। मृतका के गले पर लम्बवत् लिगेचर मार्क्स पाये गये बताकर अनुसंधान में सहयोग प्रदान किया।

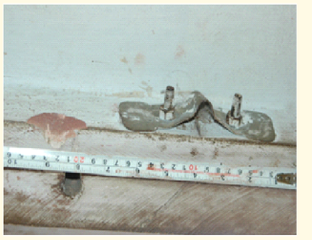

## 9. व्यक्ति की दुर्घटना का खुलासा:-

पुलिस थाना-टोडगढ, जिला- अजमेर अंतर्गत मर्ग संख्या-10/2017 के अनुसंधान अधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक-24.05.2017 को एक व्यक्ति शराब के नशे में नीचे गिर कर मर गया। परंतु घटना के कुछ दिन बाद परिवार द्वारा मृतक की हत्या किये जाने बाबत् संदेह किये जाने पर मोबाईल फोरेंसिक यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर मृतक के पुलिया से गिरने के स्थान पर रासायनिक परीक्षण द्वारा रक्त की उपस्थिति पायी गयी एंव आसपास अन्य स्थानों पर मौजूद संदिग्ध धब्बों पर रसायनिक परीक्षण द्वारा रक्त नहीं होना पाया गया। इस प्रकार अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण दिशा दी गई।

## 10. हत्या प्रकरण में प्रयुक्त वाहन का खुलासा:-

मु0नं0-161/17, दिनांक-21.10.17 धारा-147, 148, 149, 323, 302 भादस, पुलिस थाना - सदर, जिला-नागौर में युवक कि हत्या करने का अन्देशा था। उक्त घटनास्थल पर एक बोलेरो वाहन द्वारा टक्कर मारकर होटल को भी नुकसान पहुँचाया गया था। मोबाइल फोरेंसिक यूनिट, नागौर द्वारा जब उक्त वाहन का वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण किया गया तो उक्त बोलेरो वाहन के नीचे साइलेन्सर एवं चेचिस के पास मानव रक्त के धब्बो की उपस्थिति दर्ज कि गई एवं रक्त का पैटर्न के अनुसार वाहन के रकाब प्लेट के कोने से किसी के चोटिल होने कि

संभावना व्यक्त कि गई। उक्त राय के आधार पर अपराधी की पहचान में अहम योगदान दिया गया।

**12. आनन्दपाल प्रकरण :-**

मु0नं0-190/17 दिनांक 25.06.17 धारा - 147, 148, 149, 332, 353, 307, 212, 216 आईपीसी, 3/25 एवम् 7/25, 7/27, आर्म्स एक्ट, पुलिस थाना -रतनगढ, जिला- चुरू में गैंगस्टर आनन्दपाल सिंह को पुलिस द्वारा पकडने के लिए चलाये गए एक संयुक्त पुलिस अभियान के दौरान पुलिस एवम् गैंगस्टर आनन्दपाल सिंह के बीच भारी फायरिंग हुई। इस घटना में पुलिस के कुछ जवान घायल हुए तथा गैंगस्टर आनन्दपाल सिंह की गोलियां लगने से मृत्यु हो गयी। इस प्रकरण का घटनास्थल निरीक्षण इस प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों एवम् मोबाइल फोरेंसिक यूनिट के वैज्ञानिक द्वारा किया गया तथा इस घटना में प्रयुक्त हथियारों, कारतूसों, गोलियों एवम् भवन में हुए हिटमार्क्स की पहचान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा की गयी। इस प्रकरण से सम्बधित साक्ष्यों का संकलन करवाने मे पुलिस की मदद की गयी एवम् साक्ष्यों जैसे हथियारों, कारतूसों, गोलियों तथा खून इत्यादि की भी पहचान की गयी।

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर का निर्माणाधीन भवन

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बीकानेर का निर्माणाधीन भवन

# राज्य विधि विज्ञान निदेशालय की विभिन्न प्रयोगशालाओं एवं जिला मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स का पता व दूरभाष

| राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान, जयपुर | |
|---|---|
| निदेशक<br>राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला,<br>नेहरु नगर, जयपुर – 302016 | 0141–2301584, 0141–2301859 (फैक्स)<br>9413385400<br>E-mail : director.fsl@rajasthan.gov.in |
| लोक सूचना अधिकारी<br>राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला<br>उपनिदेशक (अपराध घटनास्थल) | 0141–2301072<br><br>0141–2302217 |
| सतर्कता अधिकारी | 0141–2301584 |
| **क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर** | |
| अतिरिक्त निदेशक<br>क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला<br>फोरेंसिक हाउस, 8 मील चुंगी नाका, नागौर रोड, मण्डोर, जोधपुर। | 0291–2577966<br>E-mail : rfsl.jodhpur.fsl@rajasthan.gov.in |
| **क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उदयपुर** | |
| अतिरिक्त निदेशक<br>क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला<br>फोरेंसिक हाउस, चित्रकूट नगर, बुहाना बाईपास, उदयपुर | 0294–2803007, 2803784<br>E-mail : rfsl.udaipur.fsl@rajasthan.gov.in |
| **क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोटा** | |
| अतिरिक्त निदेशक<br>क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला<br>फोरेंसिक हाउस, आर.ए.सी. ग्राउण्ड, रावतभाटा लिंक रोड, कोटा। | 0744–2401644, 2400644<br>E-mail : rfsl.kota.fsl@rajasthan.gov.in |
| **क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बीकानेर** | |
| उप निदेशक<br>क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला<br>110–117, ट्रांजिट हॉस्टल, जी.ए.डी. कॉलोनी, पवनपुरी, बीकानेर। | 0151–2242873<br>E-mail : rfsl.bikaner.fsl@rajasthan.gov.in |
| **क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर** | |
| सहायक निदेशक<br>प्रभारी, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला<br>जनाना हास्पिटल के सामने, सीकर रोड, अजमेर। | E-mail : rfsl.ajmer.fsl@rajasthan.gov.in |
| **क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, भरतपुर** | |
| अतिरिक्त निदेशक<br>क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला<br>231, बापू नगर, भूरी सिंह व्यायामशाला के पास, भरतपुर | 9414249466<br>E-mail : rfsl.bharatpur.fsl@rajasthan.gov.in |

# जिला मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स

| राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान, जयपुर | | | |
|---|---|---|---|
| **क्र0 सं0** | **जिला यूनिट** | **पदस्थापित अधिकारी/ कर्मचारी** | **पता एवं मोबाइल नम्बर** |
| | | **जयपुर रेन्ज** | |
| 1 | जयपुर (शहर) | श्री सुशील कुमार बनर्जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी<br>श्री गिर्राज पाठक, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक<br>श्री आकाश मित्तल, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक | Mobile Forensic Unit (Jaipur City)<br>Forensic Campus, Nehru Nagar,<br>Jaipur- 302016; 9413385402(M) |
| 2 | जयपुर (ग्रामीण) | श्री हरी सिंह सैनी, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक<br>श्री पूरण मल शर्मा, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक | Mobile Forensic Unit (Jaipur Rural)<br>Forensic Campus, Nehru Nagar,<br>Jaipur- 302016; 9413385403(M) |
| 3 | सीकर | श्री अनिल कुमार शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (अतिरिक्त चार्ज) | Mobile Forensic Unit<br>Guest House Building, Police Line,<br>Sikar- 332 001, 9413385613 (M) |
| 4 | झुन्झुनू | श्री अनिल कुमार शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी | Mobile Forensic Unit, Police Line,<br>Jhunjhunu- 333 001<br>9413385618 (M) |
| 5 | दौसा | श्री मान सिंह मीणा, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक | Mobile Forensic Unit, Purani Nijamat,<br>Lalsot Road, Dausa- 303 303<br>9413385612 (M) |
| 6 | अलवर | डॉ0 राहुल दीक्षित, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी | Mobile Forensic Unit,<br>Old Arawali Vihar, Near Police Station,<br>Alwar- 301 001 9413385410 (M) |
| | | **अजमेर रेन्ज** | |
| 7 | अजमेर | श्री संजय कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक<br>श्री आकाश राव, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक | Mobile Forensic Unit,<br>Old RPSC Building, Ajmer- 305 001<br>9413385406 (M) |
| 8 | भीलवाड़ा | डॉ. पंकज पुरोहित, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी | Mobile Forensic Unit,<br>City Police Control Room,<br>Bhilwara- 311 001, 9413385617 (M) |
| 9 | नागौर | श्री रामावतार प्रजापत, प्रयोगशाला सहायक | Mobile Forensic Unit, Traffic Police Station Campus, New Control Room,<br>Nagaur, 9462815151 (M) |
| 10 | टोंक | श्रीमती नीलम जैन, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक<br>श्री विनोद कुमार प्रजापत, प्रयोगशाला सहायक | Mobile Forensic Unit,<br>38, Police Line, Tonk- 304 001<br>7737805061 (M) |
| | | **उदयपुर रेन्ज** | |
| 11 | उदयपुर | श्री अभय प्रताप सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी<br>श्री अशोक कुमार, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक | Mobile Forensic Unit,<br>Forensic House, Chitrakoot Nagar,<br>Buhana Byepass, Udaipur- 313 001,<br>9413385404 (M) |
| 12 | चित्तौड़गढ़ | श्री सुरेन्द्र सैनी, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक | Mobile Forensic Unit,<br>Police Line, Chittorgarh<br>9413433055 (M) |
| 13 | बाँसवाड़ा | श्री बलवन्त सिंह खज्जा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी | Mobile Forensic Unit,<br>Police Station Kotwali, Banswara.<br>9413384164 (M) |
| 14 | डूँगरपुर | श्री बलवन्त सिंह खज्जा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (अतिरिक्त चार्ज) | Mobile Forensic Unit<br>Quarter No. 111-8,<br>Sabela Scheme, Dungarpur.<br>9413384164, 9587436603 (M) |
| 15 | राजसमंद | डॉ. अजय टीलावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी | Mobile Forensic Unit,<br>R.K. Govt. Hospital, Rajsamand<br>9782144565 (M) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | प्रतापगढ़ | श्री बलवन्त सिंह खज्जा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (अतिरिक्त चार्ज) | Mobile Forensic Unit,<br>Ist Floor, Office of Dy.SP. Pratapgarh.<br>9413384164 (M) |
| | | **कोटा रेन्ज** | |
| 17 | कोटा<br>सिटी / ग्रामीण | श्री कमलेश कुमार पंकज, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक | Mobile Forensic Unit,<br>Forensic House, Rawatbhata Link Road, Kota- 324 009, 9413284619 (M), 9785033805 ( M ) |
| 18 | झालावाड़ | श्रीमती अल्का चायल, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक | Mobile Forensic Unit, Police Line, Jhalawar. 9413384162 (M) |
| 19 | बूँदी | श्री शम्भू दयाल मालव, प्रयोगशाला सहायक | Mobile Forensic Unit, Police Line, Bundi. 9571806761 (M) |
| 20 | बाँरा | श्री कमलेश कुमार पंकज,वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (अतिरिक्त चार्ज) | Mobile Forensic Unit,<br>Police Line, Baran. 9785033805 (M) |
| | | **बीकानेर रेन्ज** | |
| 21 | बीकानेर | डॉ0 राजकुमार मेहता, सहायक निदेशक<br>श्री कृष्ण कुमार गुगड़, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक | Mobile Forensic Unit, 108, Transit Hostel, GAD Colony, Pawanpuri, Bikaner- 334 003, 9413385409 (M) |
| 22 | चूरू | श्री अरविन्द कुमार, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक | Mobile Forensic Unit,<br>Police Line, Churu -331 001<br>8952099997 (M) |
| 23 | श्रीगंगानगर | श्री सुरेन्द्र कुमार जांगिड़, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी<br>श्री लोकेश कुमार, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक | Mobile Forensic Unit, Opp. Chief Medical and Health Office, Old Hospital, Railway Station Road, Sriganganagar- 335 001, 9413385615 (M) |
| 24 | हनुमानगढ़<br>यूनिट–बी | श्री सुरेन्द्र कुमार जांगिड़, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (अतिरिक्त चार्ज)<br>श्रीमती अम्बिका, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक | Mobile Forensic Unit,<br>Police Line, Hanumangarh.<br>9269305475 (M) |
| | | **जोधपुर रेन्ज** | |
| 25 | जोधपुर<br>सिटी / ग्रामीण | डा0 संजय जैन, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी<br>श्रीमती सुनीता पाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक | Mobile Forensic Unit,<br>Forensic House, 8 Mile Chungi Naka, Nagaur Road, Mandor, Jodhpur.<br>9414295005(M) |
| 26 | पाली | श्री भंवर सिंह भाटी, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी | Mobile Forensic Unit,<br>Police Line, Pali. 9460249464(M) |
| 27 | जालौर | यशपाल महावर, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक | Mobile Forensic Unit,<br>Police Line, Jalore. 7734916317(M) |
| 28 | जैसलमेर | श्री प्रदीप बोहरा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (अतिरिक्त चार्ज) | Mobile Forensic Unit,<br>Police Line, Jaisalmer- 345 001<br>9413384156(M), 9413626388 ( M ) |
| 29 | सिरोही | श्री भंवर सिंह भाटी, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (अतिरिक्त चार्ज) | Mobile Forensic Unit,<br>84/III/37 GAD Colony, Near RTO Office, Sirohi. 9460249464(M) |
| 30 | बाड़मेर | श्री प्रदीप बोहरा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी | Mobile Forensic Unit,<br>Police Line, Barmer. 9413384156(M)<br>9413626388 ( M ) |
| | | **भरतपुर रेन्ज** | |
| 31 | भरतपुर | डा0 राकेश रोशन, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी | Mobile Forensic Unit,<br>Traffice Police Building, Traffic Chauraha, Bharatpur- 321 008<br>9468918448 (M) |
| 32 | सवाईमाधोपुर | श्री सुनील कुमार सिंघल, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक | Mobile Forensic Unit,<br>Polytechnic College Road, Near Rajpootana Bio Tech. Pvt. Ltd., Teengal , Sawai Madhopur- 322 001.<br>8104752701 (M) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33 | धौलपुर | श्री अविनेश कुमार मदेरणा,वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक | Mobile Forensic Unit,<br>Old S.P. Office (Court Campus) Dholpur.<br>9667066967 (M) |
| 34 | करौली | श्री अरूण कुमार चतुर्वेदी, प्रयोगशाला सहायक | Mobile Forensic Unit,<br>Kotwali Campus, Karauli.<br>9460762379(M) |

**अपराध घटनास्थल निरीक्षण हेतु आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित फोरेंसिक मोबाइल ईकाई द्वारा भौतिक साक्ष्य का परीक्षण**

## वर्ष 2017 में स्थापित/रिपेयर/अपग्रेड/ए.एम.सी. किये गये महत्त्वपूर्ण उपकरणों की सूची

मुख्य प्रयोगशाला जयपुर में वार्षिक रखरखाव संविदा उपकरणों की सूची :–

| S.No. | Name of Equipments |
|---|---|
| 1. | Leica DM-2500 Microscope |
| 2. | Olympus BX-50 Microscope |
| 3. | HPTLC (2 Machines) |
| 4. | Gas Chromatograph |
| 5. | GC-MS |
| 6. | Carl Zeiss SEM |

मुख्य प्रयोगशाला जयपुर एवं क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में क्रय व स्थापित किये गये उपकरणों की सूची :–

| S.No. | Name of Equipments | Quantity |
|---|---|---|
| 1. | Binocular compound microscope with good halogen light and filters | 2 |
| 2. | Computer and Laser Printer along with all accessories | 1 |
| 3. | Deep Freezer (-20C) | 1 |
| 4. | Digital Printing Machine | 1 |
| 5. | Digital camera kit | 5 |
| 6. | Digital Video Camera (Handycam) | 3 |
| 7. | Electronic Balance | 6 |
| 8. | Facial Recognition Software | 1 |
| 9. | Microscope with all Accessories | 1 |
| 10. | Reprovit unit with reflected & transmitted light arrangement | 3 |
| 11. | Stereo Microscope | 1 |
| 12. | Stereo Microscope with Camera | 1 |
| 13. | Table Top Centrifuge | 3 |
| 14. | UV Visible Spectrophotometer with Accessories A.C. and Fixtures | 3 |
| 15. | Video camera | 7 |

मुख्य प्रयोगशाला जयपुर में रिपेयर/अपग्रेड उपकरणों की सूची :–

| S.No. | Name of Equipments |
|---|---|
| 1. | Microsolvent Extraction System |
| 2. | Cleveland Open Cup Flash Point |
| 3. | Diesel Analyzer |
| 4. | Gasoline Analyzer |
| 5. | PCR 9700 |

## उपलब्धियाँ

1. राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में लम्बित प्रकरणों के लिए विशेष अभियान चलाकर लम्बित प्रकरणों की संख्या दो दशकों के न्यूनतम स्तर 6412 की गई तथा वर्ष 2016 तक के समस्त पुराने लम्बित प्रकरण निस्तारित कर दिये गये। वर्ष 2017 के अधिकतर प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है।
2. हत्या, दुष्कर्म आदि जैसे हिंसक अपराधों के प्रकरणों को मुख्य प्रयोगशाला जयपुर के जैविक खण्ड में सर्वोच्च निस्तारण दर से परीक्षण कर प्रथम बार पेंडेंसी को शून्य किया गया।
3. हत्या, दुष्कर्म व अन्य हिंसक अपराधों में अकाट्य साक्ष्य डी.एन.ए. परीक्षण के लिए राजस्थान पुलिस से प्राप्त किये जाने वाला शुल्क समाप्त कर दिया गया है।
4. जैविक प्रादर्शो के संरक्षण के लिये प्रयोगशाला में सुविधाओं को विस्तार किया गया है।
5. राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से प्राप्त होने वाले सभी प्रकरणों का प्राथमिकता पर परीक्षण कर निस्तारण किया जा रहा है। जिसके लिए प्रयोगशाला की तकनीकी परीक्षण सुविधाओं का विस्तार किया गया।
6. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु मुख्य प्रयोगशाला जयपुर के अतिरिक्त जोधपुर तथा बीकानेर रेंज के विवादग्रस्त प्रलेख का परीक्षण प्रलेख खण्ड व ट्रैप प्रकरणों का परीक्षण रसायन खण्ड, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर में 01-03-2016 से प्रारम्भ किया गया। इसी क्रम में 15.02.2016 से क्षेत्रीय प्रयोगशाला उदयपुर में ट्रैप प्रकरणों का परीक्षण कार्य रसायन खण्ड में आरम्भ किया गया।
7. राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर मे पॉलीग्राफ सेंटर स्थापित कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।
8. बीकानेर एवं अजमेर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के विशिष्ट डिजाईन के भवनों का निर्माण चरणबद्ध रूप से करवाया जा रहा है।
9. क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भरतपुर हेतु राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क भूमि की सहमति प्रदान का दी गयी है तथा भूमि आवंटन कार्य प्रगति पर है।
10. अपराध प्रादर्शो की समुचित जाँच सुविधा के आधुनिकीकरण के क्रम में संवेदनशील उपकरणों से आधुनिकीकरण किया गया है।
11. प्रयोगशाला द्वारा स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का आर. टी.पी.पी. एक्ट में सम्मिलित करने का प्रस्ताव वित्त विभाग से अनुमोदित कराया जाकर, आधुनिक उपकरणों का विदेश से आयात किया जाना सुगम किया गया है।

12 क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर में सीरम खण्ड का कार्य प्रारंभ किया गया है।

## भविष्य की योजनाऐं

1. मुख्य प्रयोगशाला जयपुर में 'एडवांस्ड सेन्टर फॉर साईबर फोरेंसिक्स' की स्थापना।
2. राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कम्प्यूटर, नेटवर्क, आई.टी., इमेज प्रोसेसिंग, सम्बन्धित प्रकरणों में हाई स्पीड वर्क स्टेशन स्थापित किया जाना।
3. क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला कोटा में नये नारकोटिक खण्ड एवं अजमेर में नये जैविक खण्ड की स्थापना।
4. क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर में जैविक खण्ड आरम्भ किया जाना है।
5. क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, भरतपुर के लिए भवन निर्माण कार्य।
6. क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर में भी डी.एन.ए. परीक्षण सुविधा आरम्भ की जानी है।
7. राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों के पाँच दशक पुराने कैडर का पुनर्गठन किया जाना है।
8. इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साईस की स्थापना में योगदान देना।

डी.एन.ए. भवन, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उदयपुर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोटा

फोरेंसिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, एफ.एस.एल., जयपुर

माननीय गृहमंत्री श्री गुलाब चन्द कटारिया फोरेंसिक वैज्ञानिकों के साथ।